

सामाजार्थिक समीक्षा
जनपद – अल्मोड़ा
वर्ष 2012–2013



अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय
विकास भवन अल्मोड़ा
(उत्तराखण्ड)

दूरभाष / फ़ैक्स: 05962–230321

Email: dstoalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड का मानचित्र



Uttarakhand Map

जनपद का मानचित्र



अध्याय-1

जनपद का ऐतिहासिक परिचय एवं भौगोलिक स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य के मध्य हिमालय की गोद में स्थित कुमाऊँ भौगोलिक, ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से भारत के भू-भाग का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखण्ड, केदारखण्ड व मानस खण्ड में विभक्त है। जहाँ केदारखण्ड में वर्तमान गढ़वाल सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा के उत्तर में बागेश्वर, पूरब में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमायें हैं। कोसी एवं सुयाल नदी के मध्य स्थित काषायः पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकारों के मत में विभिन्नता है। विद्वानों का मानना है कि यह क्षेत्र सन् 1530 के आसपास राजा भीष्मचन्द्र ने बसाया था। चम्पावत से राजधानी स्थानांतरित कर राजा भीष्मचन्द्र ने अल्मोड़ा में यह नगर वर्तमान नगर के समीप खगमराकोट नामक स्थल के पुराने किले पर राजा द्वारा आवास बनाया गया था।

इस जनपद का कुमाऊँ मण्डल में चन्दवंशीय राजाओं की राजधानी होने के कारण, अपनी प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है। अल्मोड़ा में चंद राजधानी की स्थापना के साथ समाज के विविध वर्गों के लोग यहाँ बसते गये। धार्मिक प्रवृत्ति के होने से चन्द राजाओं ने कई धार्मिक उपासना केन्द्र यहाँ स्थापित किये थे। यहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धि में अवरोध सन् 1744 में आया, जब रोहिला आक्रमण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण स्थलों को समाप्त करने के प्रयास हुये। सन् 1815 में यह क्षेत्र ब्रितानवी शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में जनपद अल्मोड़ा को कुमायूँ कमिश्नरी मुख्यालय बनाया गया था, कालान्तर में कमिश्नरी मुख्यालय को नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया। देवभूमि हिमालय की संस्कृति में अल्मोड़ा का विशिष्ट स्थान रहा है। यह क्षेत्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज का आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वत मालायें विविध प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अवशेषों के प्रमाणों से भरी हैं। यह जनपद सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक रूपों से विख्यात है तथा अनादि काल से महापुरुषों, सिद्धों एवं साधकों का प्रेरणाश्रोत भी रहा है। जनपद अल्मोड़ा सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये विश्वविख्यात है। गाँधी जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, एनीबेसेन्ट एवं मीरा बहन जैसे विचारक ब्रूस्टर जैसे चित्रकार, उदयशंकर जैसे सांस्कृतिक कर्मी इसी अल्मोड़ा से प्रभावित हुए।

जनपद का भौगोलिक भू-भाग सिन्धुतल से 750 मीटर से प्रारम्भ होकर 2000 मीटर से ऊपर है। सरयू, कोसी, रामगंगा, गगास तथा सुयाल यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिले को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1.पर्वतीय क्षेत्र:-

पर्वतीय क्षेत्र में उच्च पर्वत शिखर, जिनमें डोटियाल (मानिला), मालीखेत (स्याल्दे), भौनखाल (सल्ट), लोधियाखान (ताड़ीखेत), शेर, चौबटिया, स्याहीदेवी, भटकोट, वृद्धजागेश्वर, बिनसर, मोरनौला, गणानाथ, मल्लिका आदि हैं।

इस क्षेत्र में घने वन हैं। वनों में सदाबहार व पतझड़वाले वृक्ष पाये जाते हैं, जिनमें बॉज, बुराश, उत्तीश, काफल, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष हैं।

2. नदी घाटी क्षेत्र:—

नदियों के किनारे स्थित घाटी क्षेत्र 600 से 1200 मी० तक हैं। प्रमुख नदियों में कोसी, सुयाल, पश्चिमी रामगंगा, गगास, पनार आदि हैं। नदियों के किनारे समतल उपजाऊ भूमि को स्थानीय भाषा में सेरा कहा जाता है। इनमें बासुलीसेरा, रावलसेरा, बैराटसेरा, सोमेश्वरसेरा, चनौदासेरा, टूनाकोटसेरा, ईड़ासेरा, कामरसेरा, चौखुटिया व मासीसेरा, देघाट व स्याल्दे के सेरे आदि प्रमुख हैं।

3. भौगोलिक स्थिति:—

जनपद का वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल 3139.00 वर्ग कि०मी० है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा के पश्चिम में लगभग 29 डिग्री एवं तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांस तथा 79 डिग्री और 81 डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित हैं, जिसे तीन सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

1. समुद्र तल से 750 मीटर से 1250 मीटर तक का क्षेत्र।
2. समुद्र तल से 1251 मीटर से 1850 मीटर तक का क्षेत्र।
3. समुद्र तल से 1851 मीटर से अधिक उचाई वाला क्षेत्र।

जनपद का बहुत कम भाग समतल है जो स्थान चोटियों के निकट है उनमें छोटी-छोटी नहरों, गूलों से सिंचाई की जाती है। शेष भाग वर्षा से ही सिंचित होता है जिसमें प्रायः मोटा अनाज बोया जाता है। असिंचित भूमि का अधिकांश भाग रबी फसल हेतु परती छोड़ दिया जाता है। दूसरी श्रेणी 1251 मीटर से 1850 मीटर तक की ऊचाई वाला क्षेत्र जो कि फल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, यहाँ पर सीढीदार खेतों में खेती की जाती है। तीसरी श्रेणी 1851 मीटर से अधिक उचाई वाले क्षेत्र है, जहाँ खेती आदि की कोई सुविधा प्रायः कम ही है तथा वे स्थान केवल पर्यटन एवं साहसिक कार्यों हेतु ही प्रयुक्त हो सकते हैं। जनपद की प्रमुख नदियों में सरयू, रामगंगा, कोसी, गगास तथा सुयाल नदियाँ हैं जिनमें प्रायः वर्षभर पानी कम अथवा अधिक मात्रा में रहता है। नदियों का मुख्यतः उद्गम स्थल 1051 मीटर से अधिक उँचाई वाले क्षेत्र ही है।

4. जलवायु एवं वर्षा:—

जनपद में सभी स्थानों पर जलवायु सामान्य न रहकर विभिन्न उँचाईयों पर आधारित है। विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के अनुसार जनपद अल्मोड़ा का वर्ष 2010-11 का उच्चतम तापमान 24.3 सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 13.0 सेन्टीग्रेट रिकार्ड किया गया तथा वर्ष 2011 तक जनपद में औसत वर्षा 1440.01 मि०मि० रिकार्ड की गई।

खनिज

जनपद अल्मोड़ा में मुख्यतः स्लेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट आदि खनिज पाये जाते हैं। अवैधानिक व अनियंत्रित खनन से पर्यावरण संकट व भूस्खलन का अत्यधिक खतरा उत्पन्न होता है। चूना पत्थर, मैग्नेसाइट व स्लेट निजी भूमि में पाया जाता है जिसका खनन निवासियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों से रेता बजरी व पत्थर का खनन वाणिज्यिक कार्यों के उपयोग हेतु किया जाता है।

भूकम्पीय क्षेत्र होने के कारण पर्वतीय जनपदों में खनिज पदार्थों का दोहन करना अति संवेदनशील प्रक्रिया है।

अतः बिना किसी भूगर्भीय सर्वेक्षण के उपरान्त पर्वतीय जनपदों में बहुतायत मात्रा में खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी खनिज पदार्थों का दोहन कार्य उचित नहीं है। जनपद में स्थानीय निवासियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लौह, ताम्र का खनन किया जाता रहा है। जनपद के लमगडा विकास खण्ड में ताम्र एवं लौह अयस्क प्राप्त हुए हैं। जनपद में मैग्नेसाइट, खड़िया, अभ्रक, लिग्नाइट तथा ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। खनिज के रूप में चूना, खड़िया का खनन प्रायः लीज पट्टे पर दिया जाता रहा है।

प्रशासनिक ढाँचा

जनपद अल्मोडा 9 तहसील एवं 11 विकासखण्डों में विभाजित है। जनपद अल्मोडा में नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा, छावनी बोर्ड रानीखेत, नगर पंचायत द्वाराहाट तथा छावनी बोर्ड अल्मोड़ा आते हैं। जनगणना-2011 के अनुसार कुल 2283 ग्राम हैं। कुल ग्राम में 2156 आबाद राजस्व ग्राम, 24 आबाद वन ग्राम एवं 103 गैर आबाद सम्मिलित है। विकासखण्ड की दृष्टि से जनपद में 11 विकासखण्ड है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 5 विकासखण्ड अल्मोड़ा तहसील में, 3 विकासखण्ड रानीखेत तहसील में एवं 3 विकासखण्ड, भिकियासैण तहसील में थे।

जनगणना 2011 के अनुसार अल्मोडा तहसील में 2, जैती में 1, भनोली में 1, सोमेश्वर में 1, रानीखेत में 1, द्वाराहाट में 1, चौखुटिया में 1, भिकियासैण में 2 तथा सल्ट तहसील में 1 विकासखण्ड है। जनपद के अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वरूप संबंधी सूचना निम्न तालिका से अवगत हो सकती है:-

सामान्य सूचनाएं

विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम	संबंधित लोक क्षेत्र का क्रमांक व नाम	संबंधित विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	जिला मुख्यालय से विकास खण्ड की दूरी	विकासखण्ड कार्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी		पुलिस स्टेश न (थाना) संख्या
					नाम	दूरी	
1	2	3	4	5	6	7	8
स्याल्दे	भिकियासैण	03अल्मोड़ा	47 सल्ट	120	रामनगर	110	0
चौखुटिया	चौखुटिया	03अल्मोड़ा	45 द्वाराहाट	94	रामनगर	125	0
भिकियासैण	भिकियासैण	03अल्मोड़ा	47 सल्ट	105	रामनगर	93	1
ताड़ीखेत	रानीखेत	03अल्मोड़ा	48 रानीखेत	59	रामनगर	89	1
सल्ट	सल्ट	03अल्मोड़ा	47 सल्ट	150	रामनगर	55	0
द्वाराहाट	द्वाराहाट	03अल्मोड़ा	45 द्वाराहाट	75	रामनगर	170	1
ताकुला	सोमेश्वर	03अल्मोड़ा	49 सोमेश्वर	40	काठगोदाम	124	1
भैसियाछाना	अल्मोड़ा	03अल्मोड़ा	51 जागेश्वर	34	काठगोदाम	121	0
हवालबाग	अल्मोड़ा	03अल्मोड़ा	50 अल्मोड़ा	15	काठगोदाम	102	0
लमगडा	जैती	03अल्मोड़ा	50 अल्मोड़ा	35	काठगोदाम	115	0
धौलादेवी	भनौली	03अल्मोड़ा	50 अल्मोड़ा	50	काठगोदाम	146	0
नगरीय	—	—	—	—	—	—	4
योग	—	—	—	—	—	—	8

जनपद अल्मोड़ा में 2001 के उपरान्त वर्ष 2003-04 में 6 अन्य नई तहसीलों (चौखुटिया, सल्ट, द्वाराहाट, सोमेश्वर, भनौली तथा जैती) का भिकियासैण, रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील से विभक्त कर सृजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत तहसील चौखुटिया में 170 ग्राम, सल्ट में 266 ग्राम, द्वाराहाट में 217 ग्राम, सोमेश्वर में 120 ग्राम, भनौली में 217 ग्राम तथा जयन्ती (जैती) में 122 ग्राम स्थित हैं। जनपद अल्मोड़ा में 95 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 1146 ग्राम सभा हैं। इस प्रकार अल्मोड़ा तहसील से सोमेश्वर, जयन्ती (जैती) एवं भनौली तहसील; रानीखेत तहसील से चौखुटिया एवं द्वाराहाट तथा भिकियासैण तहसील से सल्ट तहसील को विभक्त किया गया है। इस प्रकार जनपद में 9 तहसीलें हैं।

अध्याय-4

जनगणना विवरण


जनगणना-1981 का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में 16.45 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 21.69 प्रतिशत रहा। जनगणना-1971 में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1088 थी, जो 1981 की जनगणना अनुसार घटकर 1081 हो गई एवं 1991 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 1128 हो गई। वर्ष 1998 में जनपद अल्मोडा की बागेश्वर तहसील को जनपद बागेश्वर में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे जनपद अल्मोडा की जनसंख्या 836617 के स्थान पर 608210 रह गई, उसके अनुसार पुरुषों की संख्या 289767 तथा स्त्रियों की संख्या 318443 रह गई, तथा प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1097 रह गई। जनगणना वर्ष-2001 के अनुसार जनपद अल्मोडा की कुल जनसंख्या 630567 एवं प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1146 थी। वर्ष 2002 में जनपद बागेश्वर से 8 ग्राम स्थानान्तरित होकर जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जुड़ जाने के कारण वर्तमान में जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि०मी० हो गया तथा कुल जनसंख्या 632866 हो गयी थी, जिसमें से कुल पुरुषों की संख्या 294984 एवं स्त्रियों की संख्या 337882 थी। तथा प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1145 थी। जनगणना वर्ष-2011 के अनुसार जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि०मी० है, तथा कुल जनसंख्या 622506 है, जिसमें से कुल पुरुषों की संख्या 291081 एवं स्त्रियों की संख्या 331425 है। वर्तमान में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1139 है।

2.1 जनसंख्या घनत्व:-

जनपद अल्मोडा का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष 96-97 तक 5385 वर्ग कि०मी० था, किन्तु वर्ष 97-98 में जनपद बागेश्वर के सृजन के उपरान्त जनपद अल्मोडा का क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि०मी० रह गया। यह भौगोलिक क्षेत्रफल बागेश्वर तहसील के 905 ग्रामों के क्षेत्रफल से घटाने के बाद सर्वेयर जनरल आफ इण्डिया द्वारा सूचित भौगोलिक क्षेत्रफल 5385 से घटाने के बाद निकाला गया है इसके अनुसार जनपद अल्मोडा का जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो गया है जबकि इसके पूर्व अल्मोडा/बागेश्वर संयुक्त जनसंख्या घनत्व 155 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० था।

जनगणना वर्ष 2001 के बाद जनसंख्या का घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो गया था। वर्ष 2002 में जनपद बागेश्वर से 8 ग्राम स्थानान्तरित होकर जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जुड़ जाने के कारण जनपद का जनसंख्या घनत्व 202 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो गया था।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार वर्तमान में जिला अल्मोडा का जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० हो गया है।



2 ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या:-

वर्ष 1991 में जनपद अल्मोडा की ग्रामीण जनसंख्या 782130 व्यक्ति तथा नगरीय 53507 व्यक्ति थी। वर्ष 1997-98 में जनपद बागेश्वर के सृजन उपरान्त जनपद अल्मोडा की जनसंख्या ग्रामीण 562718 व्यक्ति तथा नगरीय जनसंख्या 47735 व्यक्ति हो गयी। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद अल्मोडा की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 578361 एवं 54505 व्यक्ति थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 560192 एवं 62314 व्यक्ति है।

3 अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या:-


जनगणना वर्ष 1991 में जनपद अल्मोडा में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 128811 व्यक्ति थी तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 916 व्यक्ति थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोडा की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 141127 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 878 व्यक्ति थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 150995 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1281 व्यक्ति है।

2.4 कर्मकर:-

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा में कुल जनसंख्या से कुल मुख्य कर्मकर का प्रतिशत 32.30 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत 49.43 तथा नगरीय क्षेत्र का प्रतिशत 34.18 है। विभिन्न कर्मकरों के अन्तर्गत कुल मुख्य कर्मकर से अन्य कर्मकरों का प्रतिशत 30.93 तथा कुल कर्मकरों में से कृषि कार्य में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 65.71 है, खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत 2.00 है तथा घरेलू उद्योग धंधों में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 1.35 है।

जनगणना 2011 के अनुसार जनपद अल्मोडा में मुख्य कर्मकरों की संख्या 201078 व्यक्ति है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 181144 व्यक्ति तथा नगरीय क्षेत्र में 19934 व्यक्ति है। इससे स्पष्ट है पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्य आर्थिक रूप से अधिक लाभकर नहीं हो पा रहा है तथा क्षेत्र में कृषि कार्य से हटकर अन्य उद्योग धंधों में लगने की प्रवृत्ति अधिक पनप रही है।



2.5 लिंगवार अनुपात:—

जनगणना वर्ष 1991 की जनगणनानुसार लिंगवार अनुपात 1099 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष था। वर्ष 1997-98 में जनपद बागेश्वर सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा में 1097 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष रह गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1139 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष तथा नगरीय क्षेत्र में 727 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष था। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार प्रति हजार पुरुष पर जनपद अल्मोड़ा में 1145 स्त्रियाँ थी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1189 स्त्रियाँ तथा नगरीय क्षेत्र में 774 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष पर थी।

जनगणना 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरुष पर जनपद अल्मोड़ा में 1139 स्त्रियाँ हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1177 स्त्रियाँ तथा नगरीय क्षेत्र में 848 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष हैं।

2.6 आयु वर्ग:—


जनगणना वर्ष 1991 में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 38.8 प्रतिशत व्यक्ति थे। 15 से 59 के आयु वर्ग में 52.8 प्रतिशत, तथा 60 से ऊपर आयु वर्ग में 8.2 प्रतिशत व्यक्ति थे। जनगणना वर्ष 2001 में 0-14 आयु वर्ग में 36.14 प्रतिशत, 15-59 आयुवर्ग में 53.56 प्रतिशत तथा 60 से ऊपर के आयु वर्ग में 10.16 प्रतिशत है।

2.7 साक्षरता:—

जनपद अल्मोड़ा की जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत कुल जनपद 58.7 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष 80.76 प्रतिशत तथा स्त्रियाँ 39.60 प्रतिशत साक्षर थी, वर्ष 97-98 में जनपद बागेश्वर के सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा का कुल जनसंख्या से साक्षरता प्रतिशत 59.79 हो गया जिसमें 80.76 प्रतिशत पुरुष तथा 41.3 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर थी। जनगणना वर्ष- 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 217988 पुरुष तथा 175980 स्त्रियाँ साक्षर थी, जनगणना 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या (6 वर्ष से अधिक

जनसंख्या पर आधारित) से साक्षरता प्रतिशत 73.62 थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 89.2 तथा स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत 60.6 थी।

जनगणना वर्ष- 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 231604 पुरुष तथा 204893 स्त्रियाँ साक्षर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या (6 वर्ष से अधिक जनसंख्या पर आधारित) से साक्षरता प्रतिशत 80.47 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत 92.86 तथा स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत 69.93 है।



2.8 आवासीय भवन:-

जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार 146507 आवासीय भवन थे, जनगणना वर्ष 1991 में परिवारों की संख्या 165908 थी, जिसमें 93.40 प्रतिशत ग्रामीण एवं 6.6 प्रतिशत नगरीय है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में आवासीय भवन की संख्या 227687 है, तथा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 212784 तथा नगरीय क्षेत्र में 14903 आवासीय भवन है

2.9 परिवारों की संख्या:-

जनगणना वर्ष 1981 के अनुसार 112528 परिवार संख्या, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 123618 परिवार संख्या, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में परिवार संख्या 131525 थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 120214 तथा नगरीय क्षेत्र में 11311 परिवार थे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में परिवार संख्या 140577 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125209 तथा नगरीय क्षेत्र में 15368 परिवार है।

अध्याय-5

कृषि

कृषि के अर्न्तगत समस्त भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। यह 'तलाऊ' भूमि जिले की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रबी, खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती है बीच में कुछ नकदी फसलें जैसे आलू, प्याज अथवा सोयाबीन जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते हैं यह दो भागों में बाटी जा सकती है— 1. अब्बल 2.दोयम । अब्बल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती है उपराऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षात में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रबी में एक भू-भाग परती छोडना पडता है।

भूमि उपयोग :- जनपद में भूमि उपयोग (हैक्टर) तीन वर्षों के तुलनात्मक आँकडे निम्न तालिका में प्रदर्शित किये जा रहे हैं :-

क्र०सं०	मद	2008-09	2009-10	2010-11
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	464942	464942	464942
2	वन	236184	236184	236184
3	कृषि योग्य बंजर भूमि	38269	38989	38325
4	वर्तमान परती	1529	2400	2485
5	अन्य परती	6950	7306	6290
6	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	25235	25280	25275
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	12527	12532	12534
8	चरागाह	28319	28322	28321
9	उद्यानों वृक्षों, झाडियों का क्षेत्रफल	33989	34389	34385
10	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	81940	79540	81143

भूमि जोत:-

जनपद में कृषि गणना 2000-01 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 122322 व क्षेत्रफल 86628 है० है। क्षेत्रफल 0.5 है० से कम 16.83 प्रतिशत क्षेत्र है। 0.5 से 1.00 है० तक 28.68 प्रतिशत क्षेत्र है। 1.00 है० से 2.00 है० तक 34.22 प्रतिशत क्षेत्र, 2.00 है० से 4.00 है० तक 16.86 प्रतिशत तथा 4.00 है० से 10 है० तक 2.95 प्रतिशत क्षेत्र है तथा 10 से अधिक 0.44 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

जनपद में कृषि गणना 2005-06 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 113940 व क्षेत्रफल 86866.78 हैक्टर है। क्षेत्रफल 0.5 है० से कम 14.35 प्रतिशत क्षेत्र है। 0.5 से 1.00 है० तक 30.27 प्रतिशत क्षेत्र है 1.00 है० से 2.00 है० तक 36.45 प्रतिशत क्षेत्र, 2.00 है० से 4.00 है० तक 16.11 प्रतिशत तथा 4.00 है० से 10 है० तक 2.48 प्रतिशत क्षेत्र है तथा 10 से अधिक 0.32 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

1. जल सम्भरण कार्यक्रम—: इस कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 413.49 लाख रू० के सापेक्ष 374.27 लाख बहुदेशीय जल सम्भरण टैंक में व्यय किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 117 टैंकों का निर्माण किया गया जिसमें 117 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

2. कदन्न योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 खरीफ में मडुवा/सावा फसल को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनपद में मडुवा फसल के अन्तर्गत 2500 हैक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 2500 हैक्टेयर एवं सावा फसल में 1600 हैक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 1600 हैक्टेयर में कार्यक्रम संचालित किये गये जिसमें मडुवा फसल के अन्तर्गत रूपये 101.00 लाख रू० के सापेक्ष 93.00 लाख रू० व्यय किया गया, इस योजना के अन्तर्गत कुल 21419 कृषकों को लाभान्वित किया गया जिससे 3968 अनुसूचित जाति के कृषक लाभान्वित किया गया।

3. अरहर कार्यक्रम:-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 2012-13 में अरहर बीज वितरण के अन्तर्गत जनपद को 80.08 लक्ष्य के सापेक्ष 80.08 कु० बीजों का वितरण किया गया जिसमें कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज वितरण के रूप में 2.44314 रूपया अनुदान अनुमन्य कराया गया जिसमें से 51796 रूपया अनु० जाति के कृषकों को अनुदान अनुमन्य कराया गया।

4. उर्द मिनिकिट वितरण:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में जनपद को 1250 मिनिकिटो के लक्ष्य के सापेक्ष 1250 मिनिकिट कृषकों में निःशुल्क वितरण किये गये, उर्द बीज वितरण हेतु 3.57 लाख रू० अनुदान से रूप में व्यय किया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 1250 कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 298 कृषक अनु० जाति के लाभान्वित किये गये।

5. जैविक:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में समस्त विकास खण्डों के चयनित ग्रामों में 1020 जैविक संरचना निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 1020 संरचना का निर्माण किया गया। जिसके निर्माण पर 42.91 लाख रू० व्यय किया गया। जिसमें कुल 1212 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत 2012-13 में खरीफ चावल कार्यक्रम के अन्तर्गत 250 है० क्षेत्र में कलस्टर प्रदर्शनो के लक्ष्य के सापेक्ष 250 है० में प्रदर्शन आयोजित कराये गये। हाईब्रिड धान के अन्तर्गत 10 है० लक्ष्य के सापेक्ष 1 है० में धान प्रदर्शन कराया गया, सूक्ष्म तत्व कमी वाले क्षेत्रों में 309 है० क्षेत्र फल में जिंक सल्फेट का वितरण कराया गया, रसायन वितरण के अन्तर्गत 524 है० में कीट/रोग से बचाव हेतु फसल उपचार किया गया। जनपद में 7 पावर बीडर का वितरण किया गया, जल पम्प वितरण के अन्तर्गत 44 जलपम्प सेट अनुदान पर वितरण किये गये एवं क्रापिंग बेस्ड ट्रेनिंग के अन्तर्गत ट्रेनिंग आयोजित करायी गयी, जल सम्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टैंक निर्माण, गूल एवं सर्पोट वाल का कार्य कराया गया। जिसमें कुल 38.3250 लाख रू० का व्यय किया गया व 1749 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जैविक में 153 कृषक अनु० जाति के लाभान्वित किये गये। रबी वर्ष 2012-13 में 150 है० क्षेत्र में कलस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये बीज वितरण के अन्तर्गत 26.40 कु० बीजों का वितरण 500 रू० प्रति कु० की दर से किया गया फसलों को कीट/रोगों से बचाने हेतु 1441.64 है० में कीट/रोग उपचार किया गया, 29 नैपसेक स्प्रेयर मशीन 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किये गये, क्रापिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग के अन्तर्गत 4 प्रषिक्षण आयोजित कराये गये जल सम्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टैंक निर्माण गूल निर्माण एवं स्पाट वाल बनाने का कार्य कराया गया जिसमें अनुदान के रूप में 3957 लाख रू० व्यय किया गया।

(स) बीज ग्राम योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2012 में विभिन्न फसल प्रजातियों के प्रमाणित एवं आधारित बीजों के 307.61 कु० लक्ष्य के सापेक्ष 206.37 कु० शस्य बीजों का 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों में विवरण कर 4.25 लाख रू० व्यय किया गया एवं रबी वर्ष 2012-13 में 1360 कु० बीज विवरण लक्ष्य के सापेक्ष 857.56 बीजों का कृषकों में 50 प्रतिशत अनुदान में वितरण कर 11.55 लाख रूपया व्यय किया गया, इस प्रकार खरीफ व रबी में 4803 कृषकों को लाभान्वित किया गया जिसमें 3427 सामान्य, 1376 अनु० जाति एवं 1568 महिला कृषक को लाभान्वित किया गया, इसके अतिरिक्त बीज भण्डार हेतु दो कु० क्षमता की 167 बुखारियों का चयनित कृषकों में वितरण किया गया, जिसमें 103 सामान्य, 37 अनु० जाति, व 27 महिला कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(द) राज्य पोषित योजना:-स्थानीय फसलों की प्रोत्साहन योजना :- इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय फसल प्रोत्साहन योजना से 146 लक्ष्य से सापेक्ष 146 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसमें रू० 1.09916 व्यय किये गये।

(य) कृषि रक्षा कार्यक्रम:-कृषि रक्षा का मुख्य कार्य फसलों को कीट, व्याधियों, चूहों एवं खरपतवारों के लिए सामयिक नियंत्रण कार्य कराना है। विभाग एवं षासन द्वारा समय-समय पर संचालित कार्यक्रमों का कृषकों को प्रषिक्षण भी दिया जाता है।

फसलों की सुरक्षा हेतु फसल बुवाई से लेकर कटाई के पश्चात् भंडारण तक विभिन्न चरणों में बीज शोधन भूमिगत कीट नियंत्रण, खड़ी फसल में कीट रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, चूहा नियंत्रण एवं अन्य भण्डारण के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में बीज शोधन, सामान्य कीट नियंत्रण, सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 42250 हे० क्षेत्रफल में कार्यक्रम संचालित किये गये।

(र) जिला योजना:-1. बीज मिनिक्विट वितरण:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 700 कु० गेहूँ बीज मिनिक्विट वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5226 मिनिक्विटों का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें 592 मिनिक्विट अनु० जाति के कृषकों में वितरित किये गये, इस कार्यक्रम में 7.05181 लाख रू० लक्ष्य के सापेक्ष 7.05181 लाख रू० की धनराशि व्यय की गयी जिसमें 5226 कृषकों को लाभन्वित किया गया।

2. कृषि यंत्र वितरण:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में अनु० जाति० के कृषकों में 90 प्रतिशत अनुदान पर 40 षक्तिचालित कृषि यंत्रों के वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 33 कृषि यंत्र वितरित किये गये जिसमें 14.74437 लाख रू० लक्ष्य के सापेक्ष 14.74437 लाख रू० की धनराशि व्यय की गयी।

3. मृदा परीक्षण:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 5700 मृदा नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 4973 मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें अनु० जाति के कृषकों के 253 नमूनों का परीक्षण किया गया, इस कार्यक्रम में 0.52972 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 0.52972 लाख रू० की धनराशि व्यय की गई।

4. कृषक प्रशिक्षण:- जनपद में इस कार्यक्रम में वर्ष 2012-13 में 44 कृषक प्रशिक्षणों के लक्ष्य के सापेक्ष 44 कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। जिसमें 3.50700 लाख रू० के लक्ष्य के सापेक्ष 3.50700 रू०की धनराशि व्यय की गयी।

5. बायोक्म्पोस्टिंग :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 950 कम्पोस्ट संरचनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष 393 कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण कराया गया। जिसमें अनु० जाति के 50 कम्पोस्ट संरचनाओं के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 66 कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण किया गया, इस कार्यक्रम में 0.58900 लाख रू० के लक्ष्य के सापेक्ष 0.58900 लाख रू० की धनराशि व्यय की गयी।

6. पौध सुरक्षा/कुरमुला कीट नियंत्रण:- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 380 हैक्टर क्षेत्र जिसमें 69 हैक्टर क्षेत्र अनु० जाति के कृषकों का उपचारित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 249.00 है० क्षेत्र जिसमें 47.50 है० क्षेत्र अनु० जाति के कृषकों का उपचारित किया गया। इस कार्यक्रम में 0.41797 लाख रू० के लक्ष्य के सापेक्ष 0.41797 लाख रू० की धनराशि व्यय की गयी।

(ल) मैक्रोमोड:-

1. दलहन:- (1) प्रमाणित बीज वितरण – प्रमाणित बीज वितरण के अन्तर्गत 11.283 कु0 दलहन बीजों का 1200 रूपया प्रति कु0 की दर से अनुदान अनुमन्य कराया गया जिसमें कुल 0.13296 रूपया बीजों पर अनुदान कृषकों को अनुमन्य कराया गया जिसमें 233 सामान्य 54 कृषक अनु0 जाति के लाभान्वित कराये गये।

(2) पौध रक्षा रसायन वितरण- दलहनों फसलों में कीट, रोग निवारण हेतु 421.57 है0 क्षेत्र में कीट रोग उपचार कार्य सम्पन्न कराया गया जिसमें कुल 1.014 रूपया रसायनों पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया जिसमें 592 सामान्य, 177 अनु0 जाति के कृषकों को लाभान्वित कराया गया।

2. गेहूँ मिनिकिट वितरण:- मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत 12-13 रबी में गेहूँ के 800 मिनिकिट का निःशुल्क वितरण कृषकों में कराया गया जिसमें अनुदान के रूप में 1.13812 रूपया व्यय किया गया जिसमें 527 सामान्य, 273 अनु0 जाति के कृषकों को लाभान्वित कराया गया।

3. तिलहन बीज वितरण:- (i) तिलहन बीज वितरण के अन्तर्गत 8.76 कु0 बीज 1200 रूपया कु0 अनुदान की दर से कुल 0.10543 लाख रूपया अनुदान बीजों पर अनुमन्य कराया गया जिसमें 409 सामान्य, 81 अनु0 जाति के कृषकों को लाभान्वित कराया गया।

(ii) पौध सुरक्षा- मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत तिलहनी फसलों में कीट रोग उपचार हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कराया गया जिसमें 413 है0 क्षेत्र आच्छादित कराया गया जिसमें 0.31418 लाख रूपया कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया, जिसमें 107 सामान्य, 60 अनु0 जाति के कृषकों को लाभान्वित कराया गया।

4. लाइट ट्रेप वितरण:- (i) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कुरमुला कीट नियंत्रण के लाइट ट्रेप 100 प्रतिशत अनुदान पर लगाये गये, इस प्रकार कुल 397 लाइट ट्रेप निःशुल्क वितरण कर 12.546 लाख रूपया का व्यय किया गया।

(ii) एच0डी0पी0ई पाइप वितरण- इस योजना के अन्तर्गत 9840 मी0 एच0डी0पी0ई पाइप अनुदान पर कृषकों को वितरण कराया गया जिसमें 0.78304 लाख रूपया अनुदान के रूप में व्यय किया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 397 कृषकों को लाभान्वित कराया गया।

5. कृषि यंत्र वितरण/कार्यक्रम -मैक्रोमोड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में ट्रेक्टर -1, पावर टिलर -3, चैफ कटर-26, विनोइंग फेन -27, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु छोटे यंत्र - 2742, एम0बी0 डिस्कप्लौ - 6 एवं ब्रुष कटर 14 कृषकों को अनुदान पर वितरण किये गये जिसमें कुल 5.92150 लाख रूपया व्यय किया गया, जिसमें 0.18290 लाख रूपया अनु0 जाति के कृषकों को अनुदान के रूप में व्यय किया गया

इस प्रकार 2898 सामान्य एवं 432 अनु० जाति के कृषकों को लाभान्वित कराया गया।

अध्याय-6 उद्यान एवं सब्जी उत्पादन

जनपद में वर्ष 2012-13 में कुल उद्यानों की संख्या 8, उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 24071 हैक्टेयर, उद्यान रक्षा सचल दल केन्द्रों की संख्या 34, फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या 6 है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जनपद में कुल सब्जी का क्षेत्रफल 4266.50 है० है, तथा आलू का सकल क्षेत्रफल 2427 है० है। औद्योगिक कार्यक्रम उत्तराखण्ड का मुख्य कार्यक्रम है। इससे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रों का न होना है, जिससे उद्यानपतियों/सब्जी उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। जनपद में मौसमी फलों, सब्जियों आदि के उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। जिस कारण उद्यानपतियों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मौसमी फलों, सब्जियों आदि का भी नुकसान होता है। जनपद में उद्यान विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

जिला योजना:-

स्पेशल कम्पोनेंट योजना :-

जिला योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर 12.2 है० क्षेत्रफल में 50 राज सहायता पर मुख्यतया आम व नींबू प्रजाति के फल पौधों का रोपण किया गया। फल पट्टी का विकास कर 25 कृषकों/उद्यानपतियों को लाभान्वित किया गया एवं 10 है० क्षेत्रफल में आलू विकास कार्य किया गया जिसमें 100 स्पेशल कम्पोनेंट लाभान्वित किया गया। उन्नतिशील सिंचाई टैंक (3X2X1/2) मी० आकार के पक्के उन्नतिशील सिंचाई टैंक का निर्माण कराया गया, जिसमें 8 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 5000.00 प्रति टैंक की राजसहायता 8 कृषकों को दी गयी। 50 प्रतिशत राज सहायता पर 352 है० क्षेत्र में पौध फसल सुरक्षा कार्य कराया गया जिसमें 352 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जबकि 75 प्रतिशत राजसहायता के अन्तर्गत 121 है० क्षेत्रफल में कुरमुला कीट नियंत्रण का कार्य किया गया, जिसमें 737 कृषक

लाभान्वित हुए। पाली हाउस (30X 2X9) वर्ग फीट के दो पाली हाउस निर्माण कराये गये जिसमें 90 प्रतिशत राह सहायता रू 30600.00 से 2 कृषकों को दी गयी

सामान्य योजना:-

योजनान्तर्गत 50 प्रतिषत राज सहायता पर 42.50 है० में आम एवं सिट्रस पौधों का रोपण कर 84 कृषको को लाभान्वित किया गया । 1788 है० क्षेत्रफल में 50 प्रतिषत राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य किया गया। जिसमें 563 है० क्षेत्रफल में 75 प्रतिषत राजसहायता में कुरमुला कीट नियंत्रण का कार्य किया गया,जिसमें 2413 कृषक लाभान्वित हुए।

राज्य सैक्टर:-

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़वा देने के लिए 389 कृषकों को टमाटर लता(हाइब्रिड) बंदगोभी हाईब्रिड,के बीज का निःशुल्क वितरित किये गये।

वर्ष 2012-13 में उद्यान विभाग की वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार रही-

क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
	जिला सैक्टर	22.49	22.49
2	राज्य सैक्टर	17.42	17.42
3	केन्द्रीय योजना(हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन)	77.29	69.00 शेष धनराशि का व्यय वर्ष 13-14 किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

इस योजना में 50 प्रतिषत राज सहायता पर हाईब्रिड/सामान्य बीजों का कृषकों को वितरण किया गया, जिनमें मुख्यतः फूलगोभी हिमानी, बंदगोभी भिमला मिर्च कै०व० ,भिण्डी प्रभनी क्रान्ति, फ्रैचबीन अनुपमा (सामान्य) सम्मिलित है इसके अतिरिक्त 50 प्रतिषत रा०सहा० पर मटर पी०-3 बीज 14.00 कु०, मटर अरकिल बीज 3.20 कु०, अदरख बीज रियेडियो जैनरो 21.50 कु०,हल्दी स्वर्णा 102.00 कु० का वितरण किया गया। जनपद के कृषकों में 50 प्रतिषत राज सहायता पर सचल दलों के माध्यम से वितरित किया गया।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन :-योजनान्तर्गत 90 है० में फल क्षेत्रफल विस्तार एवं मसाला क्षेत्रफल विस्तार के अन्तर्गत 10 है० क्षेत्र में हाइब्रिड मसाला मिर्च 20 है० क्षेत्र में हल्दी 13 है० क्षेत्र में अदरख पर राज सहायता कृषको को दी गयी है। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिये 3 है० क्षेत्रफल में ग्लेडियोलाई पुष्प के क्षेत्रफल विस्तार पर 2.025 लाख का अनुदान कृषको को दिया गया।

अध्याय 7 वन सम्पदा

जनपद में वन विभाग के अधीन वर्ष 2012 में वन क्षेत्र के अंतर्गत 785.15 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 848.56 वर्ग किमी सिविल एवं सोयम वन, 698.53 वर्ग किमी पंचायती वन तथा 29.56 वर्ग किमी निजी/कैन्ट तथा नगरपालिका एवं अन्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के प्रबन्ध का उद्देश्य पारिस्थितिकीय सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र में व्यावसायिक वानिकी नहीं की जा सकती है। भूमि आवरण पर्याप्त मात्रा में बना रहना चाहिए इसके लिये आवश्यक है कि वन क्षेत्रों के प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं संरक्षण हेतु समुचित उपाय किये जायें। पर्वतीय क्षेत्रों की खुशहाली लिए वनों का समुचित प्रबन्ध होना आवश्यक है। जनपद में वन क्षेत्रों से पाई जानी वाली विभिन्न उत्पादों को परिष्कृत एवं निजी प्रयोग हेतु निम्न रूपों में तैयार कर उपभोग किया जा रहा है।

बांज :-

बांज घास प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। भूमि तथा जल संरक्षण हेतु बांज की विशेष संरक्षण प्रदान करना तथा संवर्धन करके वन निधि में वृद्धि करना व प्राकृतिक जल स्रोतों में सुधार लाया जा सकता है। बांज वृक्ष लगाकर वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सहायतित पुनरोत्पादन एवं रोपण द्वारा वन निधि में वृद्धि व सुधार लाकर आदर्श वन बचाओं का प्रयास किया जा सकता है। बांज के वृक्षों के शाखाकतरन से तथा नियंत्रित कर स्थानीय पशुओं की चारे की समस्या हल की जा सकती है। तथा स्थानीय निवासियों की ईंधन, चारा, पानी यथासमय पूर्ति हो सकती है। प्रभाग के बांज वनों के प्रबन्धकों के लिए ओक संवर्धन कार्यवृत्त का गठन हुआ जिसमें विशेष वन वर्धकीय कार्यो द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन का अभिप्रेरणा संरक्षण तथा परिवर्धन बांज वनों में बांज तथा अन्य चौरी पत्ति वाली प्रजजतियों का रोपण कर वन निधि में वृद्धि तथा अविवेक पूर्ण शाखावर्तन में परिणित कर स्थानीय पशुओं के चारे की समस्या को हल करने में

येगदान जैसे प्रबन्ध के विशिष्ट उद्देश्य रखें गये विशेष का वर्धन कार्य में बांज के कापिस कल्लों का तथा बांज के कम धनत्व वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 20 है0 क्षेत्र में बांज वाटल रोपनिया घैस पहाड़ी पीपल उतीस व रिंगाल रोपित किये जाते हैं ।

वनौषधि –

इस वन प्रभाग में अनेकों प्रकार के उपयोगी वनौषधि प्रजातियां पाई जाती है। वनौषधि प्रजातियों का बाहुल्य और अत्यन्त उपयोग औषधि जड़ी बूटियों का यह प्राकृतिक भण्डार स्थानीय जनता के लिए अनुपूरक आय का भी साधन है। वनों से महत्वपूर्ण औषधियां पादापों के असतत विदोहन का इतिहास बहुत पुराना है। निरन्तर असतत विदोहन क परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्ण औषधीय पादप दुर्लभ संकटग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पहुंच चुका है। राज्य में किये गये सर्वेक्षण एवं अध्ययन के आधार पर शासन ने कुछ औषधीय पौधों के वनों से विदोहन को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उत्तराखण्ड के वनों में संकटग्रस्त पौधों के अलावा कई अन्य औषधीय पादप उपलब्ध है तथा जिनका संग्रहण सस्टिनेबल आधार पर किया जा सकता है। इन प्रजातियों का वनों से संग्रहण उसी सीमा तक किया जा सकेगा जो जड़ी –बूटी संग्रहण समिति द्वारा निर्धारित होगी जड़ी –बूटी के संग्रहण का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम कुमाऊं मण्डल विकास लिगम यां जिला भैषज संघों द्वारा किया जायेगा । वनों से जड़ी-बूटी एकत्रीकरण कार्य केवल स्थानीय निवासियों से कराया जायेगा। जड़ी-बूटी एकत्रीकरण कार्यों के लिए स्थानीय निवासियों का पंजीकरण करके वन विभाग को सूचित करेगा। प्रत्येक वन विभाग में प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीति द्वारा व विभाग के विभिन्न रेंजों के विदोहन कक्षां से उस वर्ष के लिए संग्रहण योग्य जड़ी –बूटी की मात्रा कृत किया जाएगा। वनों से जड़ी-बूटी का संग्रहण 1 अक्टुबर से 30 अप्रैल तक ही किया जायेगा। स्थानीय निवासियों को अपन निजी उपयोग के लिए जड़ी-बूटी निकालने का अधिकार है अधिकतर लोग सुविधाजनक क्षेत्रों से जड़ी-बूटी निकालने का प्रयास करते रहते है इसलिए जड़ी-बूटी का आवर्ती संग्रहण किया जाना उचित होगा जिससे कुछ समय के लिए वनों को विश्राम मिल सकेगा। जड़ी-बूटी के लिए आरक्षित वनों में पांच वर्ष का आवर्तन चक्र निर्धारित किया गया है । विभागीय किये है, जिससे जड़ी-बूटी के पौधे उगाने हेतु सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं जिससे जड़ी-बूटी का अधिक से अधिक रोपण किया जा सकें।

बांस :-

बांस धास प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है। भारतवर्ष में लगभग 125 किस्म की प्रजातियां पायी जाती है। अल्मोड़ा वन प्रभाग के वन क्षेत्रों में सामान्यतया बांस प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है । बांस एक बहुउपयोगी प्रजाति है। यह अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजाति है

सर्वाधिक बायोमास पैदा करता है, इसलिए कार्बन स्थिरीकरण के लिए भी यह एक उत्तम प्रजाति मानी जाती है। इसके विविध उपयोग हैं। यह चटाई, टोकरी, चारपाई, टैण्ट, पोल एवं हस्तशिल्प आदि घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल का आधार है। बांस की अनेक प्रजातियां खाने योग्य होती हैं और उनसे सब्जी व अचार बनाये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसके आर्थिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बांस के विकास के लिए प्रसास किये जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में डैण्ड्रो कैलामस स्ट्रिकटस तथा डैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई का ही रोपण किया जाना उचित माना जाता है।

रोपण विधि :-

बांस रोपण के लिए क्षेत्र का चयन कर पत्थर की धेरबाड़/तारबाड़ करके क्षेत्र को चराई से सुरक्षित कर लिया जाता है। मार्च माह से पूर्व क्षेत्र में 5 मी० अन्तराल पर 45 45 45 से०मी० के गड्डे खोदकर मिट्टी को ऋतुक्षरण के लिए बाहर ढेर कर दिया जाता है। ऋतुक्षरण मृदा को गड्डे में भर दिया जाता है। पौधशाला में उगाई गई डेढ़ वर्ष आयु पौधों का रोपण इन गड्डों में कर दिया जाता है। पौधों के रख-रखाव एवं उनकी सुरक्षा कम से कम पाँच वर्षों तक की जाती है। डैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई प्रजाति को 50.00 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उगाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए डैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई अधिक उपयुक्त प्रजाति है। इन दोनों प्रजातियों की पौधशाला तकनीकी एक समान है।

घास :-

वर्ष 1991 में कु० फॉरेस्ट ग्रीवा संज कमेटी की संस्तुति के आधार पर प्रथम श्रेणी वनों में पौधारोपण क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चारण, घास कटान व शाखा के असीमित अधिकार प्राप्त हैं। श्रेणी द्वितीय के स्थानीय वनों में स्थानीय निवासियों का पुनरोत्पादन क्षेत्र ईंधन, चारा आरक्षित क्षेत्र रोपण क्षेत्र व देवदार वनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चाराई की सुविधा उपलब्ध है। चक्रीय चरान से चारण समस्या का आंशिक निदान सम्भव है। अतः सिविल पंचायती वन तथा आरक्षित वन को सम्मिलित रकरते हुए ग्रामवासियों की सहमति एवं सहासोग से चक्रीय चाराण हेतु सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। आबादी के निकट स्थित बांज, फल्यांट, आदि वनों में ग्रामवासियों की सहमति एवं सहयोग से आवर्ती शाखाकतरन हेतु सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जाय। ग्रामवासियों को खेतों की मेड़ों पर तथा कृषि अयोग्य बंजर भूमि में क्वैराल, खड़िक, भीमल, दुधीला, फल्यांट, बांज, सावन, फाइकस प्रजातिया च्यूरा, शहतूत आदि चारा पत्ती वाली प्रजातियां रोपित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्राम के निकट की खाली भूमि पर ग्रामवासियों के सहयोग स घास व चारा प्रजातियों का रोपण किया जाय।

अन्य वन उत्पादन :-

लीसा, छाल, झूला, छिल्का माल पत्ता आदि अन्य वन उत्पादन हैं। दालचीनी की छाल मसाल के रूप में प्रयोग की जाती है। चीड़ वृक्षों के कटान के पश्चात प्राप्त होने वाला छिल्का स्थानीय निवास के धरों में आग जलाने रोशनी करने के काम आता है। बांज वनों में पाये जाने वाला झूला रंग व रसायन बनाने के काम आता है। अखरोट, आवंला, भोटिया बादाम, मीठा पांगर, मेहल, तिमिल के फल खाने के काम आते हैं। वर्तमान में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार बुरांश के फूलों से जूस बनाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होने के कारण आय को बढ़ाने का एक साधन है।

अध्याय-8

पशुपालन

पशुपालन इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में तो वर्तमान समय में भी यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। यहाँ लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरों को देखा जा सकता है। जनपद में पशु चिकित्सा, पशुधन विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जो कि निम्नवत हैं—

1 पशु चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य:—

जनपद में वर्ष 2012-2013 में 35 पशु चिकित्सालय, एक सचल पशु चिकित्सालय, 65 पशुसेवा केन्द्र, 60 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, एवं 3 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित हैं, जिनके माध्यम से वर्ष में 340102 पशुओं को चिकित्सा एवं 167579 पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये।

2 पशुधन विकास एवं नस्ल सुधार :-

जनपद में वर्ष 2012-2013 में 65 पशु सेवा केन्द्रों तथा 60 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी वर्ष में 8130 गायों/भैंसों को प्रजनन सुविधा दी गयी तथा 12174 निकृष्ट सांडों का बधियाकरण किया गया।

3 कुक्कुट विकास:—

जनपद में 1000 कुक्कुट पक्षियों की क्षमता वाला एक राजकीय कुक्कुट प्रेक्षक, हवालबाग में कार्यरत हैं। तथा जनपद में 4 विकास खण्डों में सघन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई जा रही है। कुक्कुट प्रेक्षक हवालबाग से इस वर्ष 2012-13 में 90620 कायलर प्रजाति के कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 203289 कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया।

4 भेड़ विकास :-

जनपद अल्मोडा में 3 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र पूर्व से ही कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार एवं चिकित्सा /टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

5 चारा विकास कार्यक्रम:—

जनपद में एक चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र भैंसवाड़ा में कार्यरत हैं। प्रक्षेत्र पर विभिन्न बहुवर्षीय उन्नतशील चारा घासों जैसे दोलनी, गुच्छी ब्रोम, राई घासों के बीज/रूट स्टॉक के साथ ही नैपियर घास के रूट स्टॉक का उत्पादन किया जाता है। वर्ष में प्रक्षेत्र पर 4.40 कु0 चारा बीज उत्पादन, 20 कु0 हरा चारा, 43 कु0 सूखा चारा उत्पादन एवं जड़-क्लोन्स/रूट स्टॉक 959.50 कु0 का वितरण/विक्रय विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया गया। जनपद में 7 उपचारा बैकों क्रमशः सोमेश्वर, बाडेछीना, धौलादेवी, लमगडा, द्वाराहाट, ताडीखेत तथा तुराचौरा के माध्यम से पशुपालकों को चारा फीड ब्लॉक का भी वितरण किया जाता है।

अध्याय-9

सहकारिता

जनपद में 80 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ एवं 1 जिला सहकारी बैंक, जिसकी 20 शाखाएं हैं तथा 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निबन्धित है, जिसका कार्यक्षेत्र जनपद के बाहर भी है। जिला सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 की स्थिति निम्नवत है :-

1- अल्पकालीन ऋण वितरण :-

सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 2500.00 लाख रु० लक्ष्य के सापेक्ष कुल 2566.17 लाख रु० का ऋण वितरित किया गया।

2- मध्यकालीन ऋण वितरण :-

सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 600.00 लाख रु० के लक्ष्य के सापेक्ष 322.92 लाख रु० का ऋण वितरित हुआ।

3- सदस्यता वृद्धि :-

सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 2200 लक्ष्य के सापेक्ष 1697 नये कृषकों को समिति का सदस्य बनाया गया है।

4- अंशधन :-

सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 30.00 लाख रु० लक्ष्य के सापेक्ष 33.54 लाख रु० की वृद्धि की गयी।

5- निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय करना :-

सहकारी समितियों के जो सदस्य समिति से लेन देन नहीं कर पा रहे थे उन्हें सक्रिय करने के प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के दौरान 1079 सदस्यों को सक्रिय किया गया।

6- उर्वरक व्यवसाय :-

वर्ष के दौरान समितियों के द्वारा जनपद में 500 मी०टन लक्ष्य के सापेक्ष 430.57 मी०टन यूरिया, 300 मी०टन लक्ष्य के सापेक्ष 171.863 मी०टन एन०पी०के०, 200 मी०टन लक्ष्य के सापेक्ष 16.375 मी० टन डी०ए०पी० उर्वरकों का वितरण किया गया।

7- उपभोक्ता व्यवसाय :-

ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय के अंतर्गत समितियों के माध्यम से कुल 48.54 लाख रु० तथा शहरी उपभोक्ता व्यवसाय के अन्तर्गत 65.70 लाख रु० का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

8- सहकारी देयों की वसूली :-

सहकारी देयों की वसूली समिति एवं सदस्यों के मध्य 2340.97 लाख रु० लक्ष्य के सापेक्ष वसूली 1764.40 लाख रु० की हुई।

अध्याय-10

सिंचाई

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय सिंचाई के तीन खण्ड क्रमशः कुमायूँ सिंचाई खण्ड, लघु डाल खंड अल्मोड़ा एवं सिंचाई निर्माण रानीखेत कार्यरत है। इन खंडों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों/ पम्प योजनाओं का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यों का रख-रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जो कि निम्नवत हैं :-

राजकीय सिंचाई:-

वर्तमान में जनपद में कुल 201 नहरें एवं 57 पम्प योजनायें निर्मित है। जिनकी कुल लम्बाई 613.221 किमी० तथा सी०सी०ए० 6797.00 है० है।

जिला सैक्टर

जिलायोजना वर्ष 2012-13 में जिला योजना के अन्तर्गत जिला अनुश्रवण समिति द्वारा रू० 300.00 लाख की अनुमोदित थी, अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष 124.72 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके अन्तर्गत नहरों/ लिफ्ट योजनाओं का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से 28 हैक्टर सिंचन क्षमता सृजन एवं 191 हैक्टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई, इसके अतिरिक्त निरीक्षण भवन हेतु पहुँच मार्ग का कार्य पूर्ण किया गया तथा कैनाल कालोनी में भण्डार गृह का कार्य प्रगति में है।

केन्द्र पोषित योजना(ए०आई०वी०पी०):-

ए०आई०पी० के तहत रू० 6.75 लाख व्यय कर 12.550 किमी० लम्बी नहर का निर्माण का कार्य प्रगति में है।

नाबार्ड:-

नाबार्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में नहरों की पुर्नस्थापना एवं सुद्वीकरण के अन्तर्गत रू० 29.25 लाख व्यय कर 7.500 किमी० लम्बी गूल की लाईनिंग का कार्य सम्पादित कर 40 हैक्टर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित क गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त मनरेगा के अन्तर्गत कोसी नदी में जल सम्बवर्धन का कार्य एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग एवं भैसियाछाना में विद्यालयों के उच्चीकरण एवं सुद्वीकरण के अन्तर्गत 4 संख्या विद्यालय भवनों एवं 2 संख्या संसाधन कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु रू० 3358.98 लाख की डी०पी०आर० शासन से स्वीकृत हो गयी है निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति में है।

विभाग जनपद के विकास कार्यों एवं काश्तकारों को बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु शत प्रयासरत है।

लघु सिंचाई:-

लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद के अन्तर्गत लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2012-13 तक 4132 हौज, 2647.484 किमी० गूल,

201 पम्पसेट एवं 189 हाईड्रम यूनितों का निर्माण कर 24755.474 है० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2012-13 में 86.284 किमी० गूल, का निर्माण कर 1053.00 हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

अध्याय-11

दुग्ध विकास

अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० अल्मोडा ने सर्वप्रथम अपना व्यवसाय शिखर होटल के पास एक किराये के भवन से प्रारम्भ किया था, जिसमें 1954 से 1976 तक दुग्ध एकत्रीकरण तथा विक्रय किया जाता था। प्रारम्भ में संस्था के पास अपने कोई संयंत्र न

होने के कारण दूध को कढ़ाई में गरम करके दूध के केनों को ठन्डे पानी में रख कर दूध विक्रय किया जाता था, वही सरप्लस दूध की क्रीम निकाल कर दूध गरीबों को निशुल्क वितरित किया जाता था। वर्ष 1965-66 में शासन द्वारा दुग्धशाला की स्थापना हेतु 70 नाली भूमि पाताल देवी में उपलब्ध कराई तथा पाश्चुराईज्ड प्लान्ट हेतु 1.3 लाख के संयंत्र उपलब्ध कराये। वर्ष 1974 में राज्य सरकार द्वारा दुग्धशाला की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध कराई, जिसका शिलान्यास तत्कालीन मा० वित्त मंत्री भारत सरकार श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा किया गया। वर्ष 1976 में मु० 3.04 ला० की लागत से दुग्धशाला भवन बन कर तैयार हुआ तथा इसमें 05 हजार ली० क्षमता के संयंत्र स्थापित हुए। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में वर्तमान में 286 कार्यरत समितियों के 15315 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हैं। वर्ष 2012-13 में औसतन 11708 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर वर्ष के दौरान लगभग 42.49 लाख लीटर से अधिक दुग्ध संग्रहित कर लगभग मु० 8.54 करोड़ से अधिक का दुग्ध समितियों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है।

दुग्ध संघ की वर्तमान हैंडलिंग क्षमता निरन्तर प्रगति पर है। संघ के पास मुख्य दुग्धशाला जिसकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त ताड़ीखेत, चौखुटिया, जैती, बागेश्वर, में क्रमशः 10,000 लीटर, 2,000 लीटर, 1,000 लीटर, एवं 2,000 लीटर, के अवशीतन केन्द्र हैं।

डेयरी विकास विभाग के सहयोग से दुग्ध संघ द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है—

जिला योजना

वर्ष 2012-13 में नई समिति संगठन, डीवार्मिंग पशु औषधि, आपात कालीन पशु चिकित्सा, पशु आहार पर अनुदान, गांव स्तर से रोड हैड तक दूध पहुँचाने हेतु हैड लोड अनुदान, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध उपलब्ध कराने हेतु अल्मोड़ा जनपद को रू० 27.28 लाख अवमुक्त हुआ था, जिसके सापेक्ष 27.28 लाख का व्यय किया जा चुका है।

राज्य योजना -

वर्ष 2012-13 में मु. 26.11 लाख रू० राज्य योजना में यातायात मद में प्राप्त हुआ था, जिसका व्यय किया जा चुका है।

महिला डेयरी परियोजना:-

उत्तराखण्ड में दुग्ध उर्पाजन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उर्पाजन कार्य आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में पशु पोषण, डिवर्मिंग, स्वयं सहायता समूह, क्रेच, किचन गोडैन पैकज, जनरल अवैयरनेस, सहकारी शिक्षा मोटिवेशन एवं साक्षरता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

चारा बीज वितरण—इस योजना में वर्ष दौरान यूएलडीबी से अनुदान में प्राप्त चारा बीज जैसे जई, इत्यादि दुग्ध समितियों किये जाते हैं।

चारा नसरी की स्थापना - यूएलडीबी के सहयोग से अल्मोड़ा में पूर्व में स्थापित 3 वन पंचायतों में चारा नर्सरियों विकसित की जा चुकी है। जिससे दुग्ध समितियों के इच्छुक सदस्यों को चारा बीज/पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अध्याय-12

मत्स्य विकास

जनपद में मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है, वर्तमान में उँचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियाँ कामन मिरर, सिल्वर एंव ग्रासकार्प पाली जा रही है। जनपद में उपलब्ध प्रमुख जल संसाधन के अंतर्गत कोसी, रामगंगा, विनोद, गंगास, सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियाँ हैं। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण अभाव है। मत्स्य पालन

हेतु शुद्ध जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ वर्ष भर जलश्रोतों की उपलब्धता रहती है,

जिला सैक्टर

1-शीतजला मात्स्कीय का विकास- योजना केन्द्र पुरोनिधानित है। इस संचालन 75:25 (केन्द्र एवं राज्य) के आधार पर किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में मात्स्कीयका विकास करना है उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में निम्न कार्य सप्पादित कराए गए।

(अ) पर्वतीय तालाब निर्माण- मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्तिगत मत्स्य पालकों को तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु अनुदान देकर लाभान्वित किया गया। मत्स्य पालकों को प्रति 100 वर्गमी० की एक यूनिट हेतु रू० 12,000 का अनुदान दिया गया। वर्ष 2012-13 में कुल 18 यूनिट तालाबों का निर्माण कराया रहा है तालाब निर्माण मद में कुल 2.16 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है।

2-जलाशय विकास योजना

अ-मत्स्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनचेतना गोष्ठी- पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जलश्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनचेतना गोष्ठियों का आयोजन अलग-अलग विकास खण्डों में किया गया। प्रति गोष्ठी रू० 10,000 की दर से व्यय किया गया। वर्ष 2012-13 में कुल तीन गोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिस पर कुल रू० 30,000 की राशि व्यय की गयी।

ब-मत्स्य बीज संचय-मत्स्य बीज संचय हेतु विभिन्न श्रोतों जैसे प्रदेश में स्थित मत्स्य प्रक्षेत्रों/नदियों आदि से मत्स्य बीज संग्रहित कर जनपद के भीतर ही दूसरे ऐसे सीनों पर जहाँ पर मत्स्य सम्पदा का निरन्तर हास हो रहा है तथा मछलियों की कुछ प्रजातियों लुप्त होने के कगार पर है,मत्स्य बीज संचय का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में कोसी/जैगन नदी में 294 हजार मत्स्य बीज जनपद हेमपुर हैचरी काशीपुर से ला कर संचित किया गया है।

राज्य सैक्टर

अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-विशेष संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु तालाब निर्माण मत्स्य पालन प्रशिक्षण,एक्स पोजर विजिट(फील्ड ट्रिप) का आयोजन किया गया योजनान्तर्गत कराएं गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

1-पर्वतीय तालाब निर्माण- विशेष संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर(एक यूनिट) पर रू० 60,000 मानक व्यय पर 70 प्रतिशत अनुदान रू० 42,000 की दर से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012-13 में कुल 6 व्यक्तियों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

2-मत्स्य बीज वितरण-वर्ष 2012-13 में 269 मत्स्य पालकों के तालाबों में संचय हेतु उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/ अभिकरण की हैचरी से लाकर वितरित किया गया।

योजनाओं से जनता को लाभ-उपरोक्त योजनाओं से जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ प्रोदीन युक्त मांसाहार की पूर्ति के साथ ही कुपोषण की समस्या भी दूर हुई है। सीमित कृषि योग्य भूमि का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने अधिकतम लाभ अर्जित किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर

रहे ग्रामीणों को अपने ही गाँव में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण में सहायक वन सम्पदा के दोहन को रोकने के साथ-साथ जलीय प्रदूषण को रोकने में मदद। जगह-जगह तालाब निर्माण होने से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन का कार्य स्वतः ही हो रहा है। तालाब निर्माण होने से पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर होने के साथ-साथ सिंचाई आदि सम्बन्धी रोजमर्रा के कार्य सम्पादित हो रहे हैं।

अध्याय-13

विद्युत

जनपद अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन का मण्डल स्तरीय कार्यालय रानीखेत में स्थित है, जिसके अर्न्तगत विद्युत वितरण खंड रानीखेत, विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा विद्युत परीक्षण खंड अल्मोड़ा कार्यरत है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण खंड रानीखेत में है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण का मण्डल कार्यालय हल्द्वानी में है। जनपद अल्मोड़ा में 11 विकास खंडों के अर्न्तगत 2156 राजस्व आवाद ग्राम हैं एवं 24 वन क्षेत्र ग्राम हैं जिनमें से योजना शुरू होने से पहले 2034 राजस्व ग्राम विद्युतीकृत थे। शेष बचे 122 ग्रामों में से 103 राजस्व अविद्युतीकृत ग्रामों, 105 नग विद्युत बाधित ग्रामों, 1325 नग विद्युतीकृत ग्रामों के छोटे तोको एवं

26500(संशोधित) बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युतीकृत करने का प्राविधान इस योजना में प्रस्तावित था।


मई 2013 तक रा0गां0ग्रा0वि0यो0 के अन्तर्गत 103 नग अविद्युतीकृत ग्राम, 105 विद्युत बाधित ग्राम, 2364 तोकों एवं 1339 विद्युत विस्तारित ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 26500 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत कर दसवीं योजना को बन्द कर दिया गया, एवं वन क्षेत्र होने अथवा एक ही परिवार होने के कारण विद्युतीकरण हेतु शेष बचे 19 नग अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों एवं 24 नग वन ग्रामों को उरेडा विभाग को विद्युतीकरण हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

दसवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के पश्चात भी जिन ग्रामों / तोकों में अभी भी विद्युतीकरण की आवश्यकता है, उनका विद्युतीकरण करने हेतु बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सर्वे का कार्य प्रस्तावित है।

जनपद की विद्युत आपूर्ति 132/33 के0वी0 स्यालीधार, अल्मोड़ा, क्षमता 2*20 एमवीए, एवं नैनी रानीखेत, क्षमता 2*15 एमवीए, उपसंस्थानों से की जाती है। जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 के लक्षेश्वर, खत्याड़ी, बख, लमगड़ा, पनुवानौला, सोमेश्वर, कोसी, कनारीछाना, रानीखेत, घिघारीखाल, बगवालीपोखर, द्वाराहाट, चौखुटिया, मासी, भिव्यासैण, सल्ट, स्याल्दे, ताड़ीखेत, बजोल, मानीला, कुल 20 उपसंस्थान कार्यरत है जिनकी क्षमता 102 एमवीए है जनपद में विभिन्न क्षमताओं के 11/4 के0 वी0 वितरण उपसंस्थान 3694 नग कार्यरत है। जनपद में 33 केवी लाईन लगभग 354.31 किमी0, 11 केवी0 लाईन लगभग 3019.897 किमी0 एवं एल0टी0 लाईन लगभग 4561.43 किमी0 है। जनपद में कुल विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोगताओं की संख्या लगभग 94 हजार है। जिसमें 90 प्रतिशत उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के है। मात्र 10 प्रतिशत उपभोक्ता अन्य श्रेणी के अन्तर्गत आते है। जिसके कारण जनपद का विद्युत राजस्व वसूली मैदानी क्षेत्रों से तुलनात्मक कम रहता है। 33/11 केवी0 मछोड उप संस्थान हेतु 33/11 केवी0 लाईन निर्माण कार्य प्रगति पर है। जालली में भी 3 एमबीए0 क्षमता के उप संस्थान वोल्टेज सुधार हेतु अत्यन्त आवश्यक है। जिस हेतु भूमि क्रय की जा चुकी है। एवं अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है। दन्या (धौलादेवी) में 33 केवी0 उप संस्थान निर्माण किये जाने हेतु भूमि चयन की कार्यवाही प्रगति पर है। अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत 5 हजार लकड़ी / क्षतिग्रस्त पोल स्थित हैं जिन्हें बजट की उपलब्धता को देखते हुये बदलने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं कर्मचारियों की अधिक आयु होने के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था एवं उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। अतः नियमित कर्मचारियों की भर्ती आवश्यकीय है।

वर्ष 2012-13 में जनपद में विद्युत उपभोग (ह0कि0वाटघ0) के आंकड़े निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे है:-

क्र0सं0	मद	2012-13
1	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	94696
2	वाणिज्य प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	22850
3	औद्योगिक विद्युत शक्ति	3214
4	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	574
5	कृषि विद्युत शक्ति	1675
6	सार्वजनिक जल कल मल प्रवाह व्यवस्था अन्य	17493
7	योग	140502



अध्याय-14

उद्योग

औद्योगिक विकास की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद अन्य पर्वतीय जनपदों की भांति पिछड़ी हुई स्थिति में है। इस जनपद का समस्त भू-भाग पर्वतीय है। विषम भौगोलिक संरचनावश यहाँ पर वृहत-मध्यम स्तरीय उद्योगों की अपेक्षा लघु/लघुतर ग्रामीण दस्तकारी, ग्रामोद्योग एवं हथकरघा, हस्तशिल्प इकाइयों का ही अधिक योगदान रहा है।

(अ) वृहत/भारी उद्योग:-

वृहत-भारी उद्योग श्रेणी वर्ग में प्लान्ट एवं मशीनरी संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश की इकाइयों आती हैं। जनपद अल्मोड़ा में वृहत/भारी श्रेणी के उद्योग स्थापित नहीं हैं।

(ब) मध्यम स्तरीय उद्योग:-

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे उद्यमों जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में ₹0 पाँच करोड़ से अधिक परन्तु दस करोड़ से कम की उद्योग/इकाइयों आती हैं। सेवा क्षेत्र में उपकरण में विनिधान की

सीमा 2 करोड़ से अधिक किन्तु 5 करोड़ से कम है वर्ष 2012-13 में मध्यम स्तरीय 3 इकाइयां सीपित हुई है।

(स) लघु/सूक्ष्म उद्योग:-

सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की अधिसूचना के अनुसार विनिर्माण एवं उत्पादन कार्य कर रहे ऐसे उद्यम जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में रू0 25 लाख तक पूँजी निवेश किया गया हो, वे सूक्ष्म उद्यम के अर्न्तगत आती है एवं सेवा प्रदान किये जाने वाले उद्यमों में उक्त पूँजी निवेश रू0 10.00 लाख रू0 तक निर्धारित किया गया है। लघु उद्यमों के अर्न्तगत उक्त पूँजी निवेश क्रमशः रू0 25 लाख से रू0 5 करोड़ निर्धारित की गयी है।

जनपद में स्थापित उद्योग सूक्ष्म/लघु आधारित श्रेणी में आते है । जनपद में स्थापित उद्योगों में आटा चक्की, तेल पिराई, धान कुटाई, रूई धुनाई, मसाला पिसाई, नमकीन, बिस्कुट, बैकरी, कन्फेक्शनरी, साफटी , आइसक्रीम , बिरोजा वार्निश, आरा मिल, रिंगाल, बास बैत, कास्ट फर्नीचर, कारपेन्टरी, जड़ी-बूटी, लोहारगिरी, आयरन इंजीनियरिंग, गेट ग्रिल वर्क्स, तांबे की कलात्मक वस्तुएँ ऊनी करघा, हस्तकला उद्योग, सोप स्टोन पाउडर, इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, पी0सी0ओ0 /फैक्स, साइबर कैफे, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, डाटा प्रोसेसिंग, प्रिन्टिंग प्रेस, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कलर लैब, टेन्ट हाउस, सीमेन्टब्लाक, गमले, जाली, मिनी पोल्ट्री, टेलरिंग, आटोमोबाइल -रिपेयरिंग, टायर रिट्रेडिंग, एलोपैथिक दवा आदि प्रमुख उद्योग हैं। जनपद में 31-03-2013 तक पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1825 है।

1. लघु उद्योगों की स्थापना-

वर्ष 2012-13 हेतु इस मद में वार्षिक लक्ष्य 105 के सापेक्ष 105 लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है ,एम.एस.एम.ई.एक्ट 2006 की परिभाषा कं मुताविक 95 सूक्ष्म इकाइयां 7 औद्योगिक इकाइयां एवं 3 मध्यम इकाइयां स्थापित की गयी है।

2. उद्योग मित्र बैठक -

बैठक के आयोजन के अंतर्गत उद्यमियों की समस्या के निराकरणार्थ जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति की 2 बैठकों का आयोजन कर उद्यमियों की समस्या का निराकरण किया गया।

3. औद्योगिक मेला प्रदर्शनी/गोष्ठी सेमिनार:-

औद्योगिक इकाइयों की प्रदर्शनी लगाकर औद्योगिक परिवेश/प्रेरणा को प्रसृत करने के उद्देश्य से क्रियान्वित इस योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित बजट राशि प्राप्त नहीं हुई तथापि 8 प्रदर्शनी/गोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया ।

4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम:-

उद्योग स्थापनार्थ उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से क्रियान्वित इस योजनान्तर्गत 20 सामान्य, 04 अनु0जाति एवं, 01 अनु0ज0जाति हेतु कुल 25 कार्यक्रम वर्ष 2012-13 में 5.25 लाख रू0 की बजट राशि से संपादित कराते हुए 775 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

5. फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत कार्यरत इकाईयां:-

फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत निम्नांकित इकाईयां/ औद्योगिक उपक्रम कार्यरत हैं:-

1. आल्पस फार्मास्यूटिकल, प्रा0लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा।
2. कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत।
3. इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लि0 मोहान।
4. खादी ग्रामोद्योग ऊल प्रोसेसिंग व फिनिसिंग प्लाण्ट रीवरव्यू फैक्ट्री, अल्मोड़ा।
5. ओरियन मेटल पाउडर रानीखेत।
6. अरोमो आटोमोबाईल्स बक्शीखोला अल्मोड़ा।
7. उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम वर्कशाप लोअर माल अल्मोड़ा।
8. अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, पाताल देवी अल्मोड़ा।
9. उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम वर्कशाप रानीखेत।

अध्याय-15

सड़कें, परिवहन एवं संचार

जनपद अल्मोड़ा के आर्थिक विकास एवं जनजीवन स्तर को उन्नत या समृद्ध बनाने में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवा की उपलब्धता कराने में सड़कें एवं परिवहन, संचार साधन प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। संचार साधनों के द्वारा पारस्परिक निकटता की सुविधा प्राप्त होने के कारण जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरंजक बन गया है। जनपद में पिछले दशक में यातायात विस्तार में विशेष प्रगति रही जनपद के सभी परिवहन मार्ग देश प्रदेश के एक दूसरे स्थानों से जोड़े गये। पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल और टिहरी जनपदों के लिए सीधे यातायात सुविधा है शेष रामनगर और काठगोदाम से रेलवे सुविधा उपलब्ध है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त वन विभाग एवं जिला पंचायत/स्थानीय निकायों की सड़कें नगरीय एवं ग्रामीण जीवन से जुड़ाव रखने में सहायक हैं, जिसके द्वारा जिले के अन्दरूनी क्षेत्रों में पहुँचा जा सकता है।

1 सड़कें:-

जनपद में प्रति वर्ष सड़कों द्वारा यातायात संचार में वृद्धि रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई वर्ष 2001-02 में 296.19 कि०मी० जिसमें लोक निर्माण विभाग की लम्बाई 266.46 कि०मी० थी।

जनपद में वर्ष 2011-12 में लो०नि०वि० के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 2382.164 कि०मी० है, जिसमें 35.77 कि०मी० हल्का वाहन मार्ग है एवं 163.864 कि०मी० पैदल मार्ग है। वर्ष 2012-13 में लो०नि०वी० के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 2542.946 किलोमी० है। जिसमें 36.720 कि०मी० हल्का वाहन मार्ग है। एवं 163.864 कि०मी० पैदल मार्ग है।

7.1 बस स्टाप:-

जनपद अल्मोडा में यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्तमान में 1078 बस स्टाप/टैक्सी स्टैण्ड कार्यरत है ।

7.2 डाक एवं तार:—

जनपद विभाजन के उपरान्त जनपद अल्मोडा में विगत की तुलना में संचार सेवा में वृद्धि हो रही है जनपद अल्मोडा में वर्ष 2008-09 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, 13089 टेलीफोन कनेक्शन (जिसमें चारों जनपदों की सूचना सम्मिलित हैं) व 108253 मोबाइल कनेक्शन कार्यशील है तथा जनपद में 2 तारघर कार्यशील है। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2012-13 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, 13090 टेलीफोन कनेक्शन (जिसमें चारों जनपदों की सूचना सम्मिलित हैं) व 108650 मोबाइल कनेक्शन कार्यशील है तथा जनपद में 2 तारघर कार्यशील है।

अध्याय-16

बैंकिंग

वर्तमान में जनपद अल्मोडा में 66 व्यावसायिक बैंक, 23 ग्रामीण बैंक, 20 सहकारी बैंक, 12 अन्य निजी व्यावसायिक बैंक, तथा 4 सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सहित कुल 126 बैंक शाखायें कार्यरत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यावसायिक ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों पर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 5902 तथा नगरीय जनसंख्या पर 1242 है।

वर्ष 2009-10 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 1971.91 करोड़ रुपया तथा इन द्वारा वर्ष में 497.70 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2009-10 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 25 है। प्राथमिक क्षेत्र में 95.18 करोड़ ऋण वितरण में से कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 59.40 तथा लघु उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र 35.78 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2010-2011 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2316.05 करोड़ रुपया है तथा इनके द्वारा वर्ष में 601.87 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2010-2011 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 25.99 है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 222.68 करोड़ रुपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 58.21 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 164.47 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया।


वर्ष 2011-2012 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2646.38 करोड़ रुपया है तथा इनके द्वारा वर्ष में 640.04 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2011-2012 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 25 है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 295.95 करोड़ रुपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 75.64 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 220.26 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2012-2013 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2934.91 करोड़ रुपया है तथा इनके द्वारा वर्ष में 779.54 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2012-2013 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 26.56 है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 2070.10 करोड़ रुपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 844.00 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 315.70 करोड़ रुपया ऋण वितरित किया गया।

अध्याय—17

शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है।



जनपद अल्मोडा में वर्ष 2012-13 में कुल प्राथमिक विद्यालय 1448, जूनियर हाईस्कूल 209, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट कालेज 298, स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय 10, आई.टी.आई. 18, पॉलीटेक्निक 6 तथा 1 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट है, जो कि साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश में अपना विशेष स्थान रखता है। वर्ष 2012-13 में प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 61519, जूनियर हाईस्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 40516, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज में विद्यार्थियों की संख्या 105331, थी।

विभाग से संबंधित प्रमुख सूचनाएं निम्नवत है:-

1-जिला योजना:-

जिला योजना वर्ष 2012-13 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा 712.00 लाख रू० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष रू० 210.00 लाख अवमुक्त हुआ है अवमुक्त धनराशि कें अन्तर्गत 13 रा०इन्टर कालेजो में कक्षा-कक्ष एवं विकासखण्ड भिकियासैण में खण्ड शिक्षा कार्यालयों की स्थापना की गयी

2- विद्यालयों का उच्चीकरण:-

वर्ष 2012-13 में 05 राजकीय हाईस्कूलों का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव व 02 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये,किन्तु उच्चीकरण नहीं हुआ है।

3-रिक्त पदों की पूर्ति:-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विगत लम्बे समय से पद रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान में इन पदों को विज्ञापित कर चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

4-परीक्षाफल:-

2012-13 में जनपद के अन्तर्गत हाईस्कूल में 15764 छात्र/छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें 16343 छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण हुए, परीक्षाफल 71.95 प्रतिशत रहा है। 2012-13 में जनपद के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट में 12698 छात्र/छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें 10199 छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण हुए, परीक्षाफल 80.31 प्रतिशत रहा है।

तकनीकी शिक्षा:-

प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्ति को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक के लिए वांछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण का होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से जनपद अल्मोडा में भी व्यवसायिक शिक्षा हेतु आधुनिक एवं परम्परागत व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गयी है जो कि युवकों की शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके या स्वयं कुटीर अथवा लघु उद्योगों को स्थापित कर सके।

1.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:-

जनपद में इस समय 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं जो विभिन्न व्यवसायों में समुचित शिक्षा निवेश एवं ज्ञान द्वारा नवयुवकों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने में प्रयत्नशील हैं जो कि निम्नवत् हैं:- अल्मोडा नगर में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालक/बालिका कार्यरत हैं तथा एक-एक जैती, दौला, दन्या, स्याल्दे, क्वैराला, मछोड, खूंट, सोमेश्वर, मासी, बिन्ता, धौलछीना तथा रानीखेत में कार्यरत हैं।

2.प्राविधिक शिक्षा:-

जनपद में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु छः प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं जिनमें से एक महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोडा में कार्यरत है जो कि केवल महिला अभ्यर्थियों को विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कराता है। शेष पांच संस्थान द्वाराहाट, सल्ट, ताकुला, चौनलिया (रानीखेत), मल्ला सालम(लमगडा) में स्थित हैं। जो पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देते हैं।

उपरोक्त संस्थानों में प्रवेश हेतु वर्तमान में प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद में प्राविधिक शिक्षा का स्वरूप समाज में विकसित होता जा रहा है। जनपद अल्मोडा के विभिन्न पॉलीटैक्निकों में चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है:-

1.राजकीय महिला पॉलीटैक्निक, अल्मोडा-

- (क) मार्डन आफिस मेनेजमेंट एण्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस
- (ख) इलैक्ट्रानिक्स इंजी०
- (ग) पी०जी०डी०सी०ए०
- (घ) इन्फारमेशन टैक्नोलाजी

(ड). कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग

2 राजकीय महिला पॉलीटैक्निक, द्वाराहाट:-

- (क) मार्डन आफिस मेनेजमेंट एण्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस
(ख) इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
(ग) पी0जी0डी0सी0ए0
(घ) सिविल इंजीनियरिंग
(ड). फार्मसी
(च). इन्फारमेशन टैक्नोलाजी
(छ). कम्प्यूटर साइंस एण्ड टैक्नोलोजी।

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरुषोत्तम उपाध्याय राजकीय पॉलीटैक्निक सल्ट अल्मोड़ा-

- (क). इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग।

4. जनरल बी0सी0जोशी राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक ताकुला अल्मोड़ा-

- (क). मार्डन आफिस मेनेजमेंट एण्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस
(ख). इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

5. राजकीय पॉलीटैक्निक, चौनलिया अल्मोड़ा

- (क). मार्डन आफिस मेनेजमेंट एण्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस।

6. राजकीय पॉलीटैक्निक, मल्ला सालम अल्मोड़ा

- (क). कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग।

सभी पालीटैक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमंत्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से लगभग 60-80 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा टाटा मोर्टस, एच0सी0एल0, एच0पी0, सैमसंग, स्पाइसर इण्डिया आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त होता रहा है।

अध्याय-18

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्न्तगत जनपद में 4 बड़े चिकित्सालय, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 19 अति0 प्राथमिक केन्द्र, 40 ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 2 राजकीय महिला चिकित्सालय तथा 195 परिवार कल्याण उप केन्द्र व 23 सैटेलाइट उप केन्द्र है।

उक्त चिकित्सालयों में श्रेणी 'क' के स्वीकृत 30 चिकित्साधिकारियों के सापेक्ष 11 चिकित्साधिकारी कार्यरत है तथा श्रेणी 'ख' के 205 चिकित्साधिकारियों के सापेक्ष


80 चिकित्साधिकारी कार्यरत है एवं " आयुष" के अन्तर्गत 21 चिकित्सक विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत हैं।

जनपद के समस्त विकास खण्डों में "पं० दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा") कार्यरत हैं। आरोग्य रथ एवं मोबाइल हैल्थ क्लीनिक के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है।

एन० आर० एच० एम० के तहत वर्ष 2012-13 में जनपद में आर०सी०एच० कार्यक्रम के अन्तर्गत 6573 प्रसव विभिन्न संस्थानों में किये गये। 66 आर०सी०एच० कैम्पों का सफल आयोजन किया गया तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी। 4864 आशाओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों हेतु 14 स्टाफ नर्स, तथा 42 ए०एन०एम० की संविदा पर नियुक्ति की गयी। जनपद के 2153 राजस्व ग्रामों में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम को 10000 (रूपया दस हजार) की धनराशि प्रदान की गयी।

जनपद में आयोजित परिवार कल्याण शिविरों में 3750 नसबन्दी ऑपरेशनों के लक्ष्य के विरुद्ध 2465 नसबन्दी ऑपरेशन किये गये तथा 70 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया। सी०सी० यूजर्स में 7054 लक्ष्य के विरुद्ध 88.4 प्रतिशत की दर से 6242 की उपलब्धि। कॉपर टी में 12840 लक्ष्य के विरुद्ध 90.2 प्रतिशत की दर से 11591 की उपलब्धि। ओरल पिल्स में 2925 लक्ष्य के विरुद्ध 87.8 प्रतिशत की दर से 12589 की उपलब्धि प्राप्त की गयी। प्रतिक्षरण कार्यक्रम के अन्तर्गत डी०पी०टी० में 94.7 प्रतिशत, पोलियो में 94.7 प्रतिशत, बी०सी०जी० में 99.8 प्रतिशत तथा मीजिल्स में 93.4 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी। एड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में 19 एच० आई० वी० पोजिटिव रोगी खोजे गये। कृष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 रोगी खोजे गये तथा 05 रोगी रोग मुक्त किये गये। डाट्स कार्यक्रम के अन्तर्गत 846 रोगियों का उपचार किया गया। अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न स्थानों पर 72 नेत्र शिविर लगाये गये तथा 3621 केसों में सफलता पूर्वक आई०ओ०एल० लैन्स प्रत्यारोपण किये गये तथा लक्ष्य के विपरीत 100 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी। "सम्भव" वाउचर योजना के अन्तर्गत जनपद में दो निजी चिकित्सालयों डीना अस्पताल एवं एम०एन० श्रीवास्तव हास्पिटल में बी०पी०एल० परिवार के महिलाओं को प्रसव एवं परिवार नियोजन की सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाती है। अस्पताल तक महिला को प्रसव हेतु लाने पर आशा को रू० 200 की धनराशि प्रदान की जाती है।



अध्याय-19

जल सम्पूर्ति

जनपद में जल सम्पूर्ति के लिये नलों द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जल निगम अथवा जल संस्थान एवं स्वजल के माध्यम से ही किया जा रहा है। जनपद में प्राकृतिक जल संसाधना के माध्यम से पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे डिग्गी, नौले द्वारा गुरुत्व से तथा नदियों आदि के माध्यम से पम्पिंग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।


पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2001-02 के अन्त तक प्रेषित संशोधित सूचना के आधार पर 2117 ग्रामों में पूर्णतः पेयजल आच्छादन तथा 38 ग्रामों में आंशिक आच्छादित किया जा चुका था। पूर्व में प्रेषित सूचना 'राजीव गाँधी ग्राम पेयजल योजना' के अन्तर्गत तोकों के आधार पर दी गई, जिसे राजस्व ग्रामों के आधार पर संशोधित कर दिया गया। वर्ष 2002-03 के अन्त तक जनपद अल्मोड़ा में 2123 ग्रामों में पूर्णतः पेयजल आच्छादन तथा 32 ग्रामों में आंशिक आच्छादित किया जा चुका था।

वर्ष 2010-11 में राजीव गाँधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत तक 2128 ग्रामों को पूर्णतः पेयजल आच्छादित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत उक्त 2128 ग्रामों में पेयजल वांछित तोको को राजीव गाँधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के अन्त तक कुल 2731 तोको को लाभान्वित किया जा चुका है। इस प्रकार दिनांक 1-4-2012 को अवशेष 2475 तोकों को पेयजल सुविधा दी जानी शेष है। वर्ष 2012-13 में राजीव गाँधी पेयजल मिशन के अन्त तक 2861 तोकों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। तथा 01.04.2013 को 2345 अवशेष तोकों में पेयजल आपूर्ति पूर्णतः आच्छादित श्रेणी तक प्रदान की जानी शेष है।

अध्याय-20 पर्यटन एवं पर्यावरण विकास

देवभूमि हिमालय की संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में अल्मोड़ा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वतमालाओं में विविध प्रागैतिहासिक, सांस्कृतिक अवशेष, आस्था के केन्द्र, धार्मिक स्थल और जनपद के चप्पे-चप्पे में फैली नैसर्गिक सुन्दरता देश-विदेश से पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। जनपद के अनेक स्थल धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसमें नंदादेवी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देवाल स्थित चिडियाघर, पातालदेवी, राजकीय संग्रहालय, विवेकानन्द कृषि अनुसंधानशाला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर में कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मौजूद हैं।

बिनसर महादेव:-



रानीखेत से 15 किलोमीटर दूरी पर सोनी के निकट बिनसर महादेव के भव्य दर्शनीय मंदिर का निर्माण ब्रह्मलीन नागा बाबा मोहन गिरि ने किया था। यहाँ पर गीता भवन में सम्पूर्ण गीता संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गयी है। यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला भी है। मंदिर तक जाने के लिए पक्का मोटर मार्ग भी है। अल्मोड़ा से 30 किमी दूरी पर बिनसर अभ्यारण्य का सम्पूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। यहाँ से सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के दृश्यों के साथ हिमालय की छटा देखने योग्य है। अल्मोड़ा के इस प्रमुख पर्यटन स्थल में एक पक्षी विहार भी है

ऐड़ाद्यो -

सोमेश्वर से पांच किलोमीटर दूरी पर ऐड़ाद्यो पर्वत पर बिन्देश्वर महादेव का और पर्वत की चोटी पर माँ बिन्देश्वरी का सुन्दर मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिरों के मध्य में ऐड़ा देवी का मंदिर है। यह महादेव गिरि महाराज जी की तपोभूमि रही हैं। वन विभाग की सड़क तथा एक डाक बंगला भी यहाँ पर स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा सौन्दर्यकरण कार्य एवं धर्मशाला निर्माण किया गया।

जागेश्वर -

छेवदार के सुरम्य वन में स्थित जागेश्वर की गिनती शिव मंदिरों में प्रसिद्ध द्वादस ज्योर्तिलिंगों में की जाती है। यह प्रसिद्ध तीर्थ व दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर समूह वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आवास हेतु पर्यटक आवास गृह एवं पेइंग गैस्ट हाउस उपलब्ध है।



वृद्ध जागेश्वर –

जागेश्वर से 3 किलोमीटर दूरी पर वृद्ध जागेश्वर का मंदिर है। प्रारम्भ में जागेश्वर धाम की स्थापना यहीं पर हुयी थी। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है।

झाँकरसैम–



जागेश्वर के पाष्य पर्वत पर झाँकरसैम का मंदिर है। यह सैम देवता का मंदिर है। सैम देवता को शिव का अवतार माना जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा धर्मशाला एवं सौन्दर्यकरण का कार्य किया जा रहा है।

कपिलेश्वर –

लोधिया से लगभग 10 किलोमीटर पैदल मार्ग पर सुन्दर कपिलेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर की मूर्तियाँ केदारनाथ ज्योर्तिलिंग मूर्तियों के समान है।

शीतलाखेत–

यह स्थान अल्मोड़ा से 35 किमी दूर स्थित है। यहाँ पर स्याहीदेवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर प्रायः स्काउटिंग के कैम्प भी लगते रहते है। भारत रतन पं० गोविन्द बल्लभ पंत का जन्म स्थल ग्राम खूँट यहाँ से मात्र 3 किमी की दूरी पर स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा आवासीय सुविधा का निर्माण किया गया है।

रानीखेत:–

सुरम्य वादियों व हिमाश्रृंखलाओं के मनोहरी दृश्यों को संजोय हुए यह नगर पर्यटकों को आकर्षित करता है। रानीखेत समुद्र तल से 1820 मी० ऊँचाई पर स्थित है। तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सुहावने व साफ मौसम में हिमशिखरों का दृश्यावलोकन अवर्णनीय है। प्लम , वेरी स्ट्राबेरी , चैस्टनेट, काफल, बुराश के फलों से लदे वृक्ष तथा रंग बिरंगे ग्लाइडोनिया ,जिरेनियम, जिनिया फ्यूस, गेंदा गुलदावरी, गुलाब, विगोनियाँ आदि पुष्पों से लदे बगीचें व पार्को के चित्ताकर्षण दृश्य पर्यटक को इस स्थल पर रुकने व पर्वतीय सौन्दर्य का आनन्द लेने को बरबस रोक लेते है। आवास हेतु पर्यटक आवास गृह के अतिरिक्त निजी होटल भी उपलब्ध है ।

मानिला—

मानिला रानीखेत से 87 किमी० एवं रामनगर से 75 किमी० की दूरी पर स्थित मानिला नामक स्थान आत्मचिंतन, योगध्यान, वन्य प्राणी हिमांछादित हिमशिखरों के लिये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है । आवास हेतु मार्गीय सुविधा/वन विश्राम गृह उपलब्ध है । दर्शनीय स्थलों में प्राचीन मानिला देवी तथा शक्तिपीठ मानिला का मंदिर स्थित है।


दूनागिरी—



जनपद मुख्यालय से 70 किमी० की दूरी पर द्वाराहाट तहसील मुख्यालय है। यहां से 14 किमी० की दूरी पर दूनागिरी का मन्दिर है। इस मन्दिर की स्थापना सन् 1187 में हुई थी। पुराणों के आधार पर दूनागिरी उर्फ दुरांचल पर्वत जिसमें वैष्णवी शक्ति पीठ है, जनपद के दर्शनीय स्थलों में से एक है। दूनागिरी मन्दिर क्षेत्र में अनेक औषधीय पौधों का भण्डार है। यहां की

जड़ी-बूटियों के बारे में मत है कि उसके प्रयोग का तात्कालिक प्रभाव होता है क्योंकि कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय एक टुकड़ा इस स्थान पर गिर गया था।

कटारमल—



कटारमल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। यह अल्मोडा से 14 किमी० की दूरी पर स्थित है। इसके समीप गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया गया है।

गणानाथ —

अल्मोड़ा से 47 किमी दूरी ताकुला के निकट गणानाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर है।



तड़ागताल-

यह स्थान रानीखेत सं 63 किमी और चौखुटिया से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां पर सुन्दर बरसाती ताल है।

चितई का गोलू (ग्वाल) देवता मन्दिर-

जनपद अल्मोड़ा के कई धार्मिक स्थलों में चितई स्थित ग्वाल (गोलू देवता) का मन्दिर लोक आस्था का प्रमुख केन्द्र है। गौर भैरव रूप में मान्य इस देव मन्दिर में आम जन अपनी मनौती पूरी करने की आशा के साथ आते हैं और न्याय की गुहार करते हैं। मान्यता है कि ग्वाल देवता के दरबार में की गयी न्याय की गुहार का प्रतिफल शीघ्र मिलता है। मान्यता है कि चंद्र शासकों द्वारा अल्मोड़ा में राजधानी बनाने से पूर्व इसका अस्तित्व था। भोलानाथ, गंगानाथ व हरज्यू समेत अन्य लोक देवताओं के जागर में ग्वाल चम्पावत के राजा थे। उनके पिता राजा झालराई निःसन्तान थे। उन्होंने गौर भैरव की स्थापना की। प्रसन्न होकर गौर भैरव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान इस शर्त के साथ दिया था कि सात रानियां होने के बावजूद भी राजा को एक विवाह कलिंगा से करना होगा। राजा के कलिंगा से विवाह के बाद कालान्तर में स्वयं गौर भैरव ने ग्वाल के रूप में उनके घर में जन्म लिया, परन्तु इर्ष्यावश सात रानियों ने शिशु को नदी में बहा दिया। एक मछुवारे को यह शिशु मिला। उसी मछुआरे ने बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह बालक चम्पावत राज दरबार के निकट पहुँचा और लकड़ी के घोड़े को नौले में पानी पिलाने लगा। रानियों ने उसकी हंसी उड़ायी कि कहीं काठी का घोड़ा भी पानी पीता है, बालक ने जवाब दिया कि यदि कोई महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो काठी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह बात राजा तक पहुँचने पर उन्होंने रानियों को दण्डित किया। यही बालक ग्वाल कई वर्षों तक चम्पावत के राजा रहें। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक सूचना केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र, बारात घर का निर्माण करवाया गया है।

द्वाराहाट मन्दिर समूह-



जनपद अल्मोड़ा से 70 किमी की दूरी पर स्थित हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है। यह कत्यूरी राजाओं के कलाप्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने यहां 30 मन्दिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया। रूहेलों के आक्रमण के समय एवं विशाल समय अन्तराल के पश्चात बचे हुए मन्दिर उत्तरराखण्ड के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक है।

महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इन मन्दिरों का निर्माण काल 11वीं शताब्दी बताया है। कत्यूरी राजाओं ने द्वाराहाट में उत्तरी दिशा में द्वारिकापुरी बनाने का प्रयत्न किया था। द्वाराहाट के मन्दिर समूहों में रतन देव, कचहरी, मनदेव, बूजरदेव, मृत्युंजय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरीसिद्ध देव मंदिर समूह नामक अलग-अलग मंदिर समूह है। पर्यटन, सांस्कृतिक विकास के लिए इन मंदिरों का काफी महत्वपूर्ण स्थान हैं वर्ष भर मंदिर में स्थानीय लोगो एवं पर्यटको की भीड़ रहती है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बेजोड़ है। महामृत्युंजय तथा गुजरदेव मंदिर का विशिष्ट स्थान है। स्थानीय जनों में इन मंदिरों के प्रति काफी आस्था है। गुजरदेव मंदिर वास्तु शैली एवं पुरातत्व की दृष्टि से सबसे अनूठा है। इसे गुजरदेवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह देवालय द्वाराहाट नगर में शालदेव पोखर के निकट एक ऊँची जगती पर बनाया गया हैं ।

वानड़ी देवी मंदिर :-



जनपद मुख्यालय से 25 किमी की दूरी में पूर्व की ओर बाँज और बुरास के घने जंगलो के मध्य वानरी देवी का मंदिर है जिसे विन्ध्यवासिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले दर्शको की मनोकामनायें देवी पूरी करती हैं। इस कारण यहाँ वर्ष भर दर्शको की अपार भीड़ रहती हैं।

हैड़ाखान –

जनपद मुख्यालय से 55 किमी की दूरी पर रानीखेत तहसील में हैड़ाखान मंदिर स्थित है। यह मंदिर चिलियानौला नामक स्थान पर स्थित है। 19 वीं सदी के अंतिम समय में सोमवती महाराज यहाँ आये थे। वे सिद्ध महात्मा थे। हैड़ाखान बाबा के सिद्ध पुरुष व योगी होने को भी सिद्ध करते हैं। हैड़ाखान में विदेशी पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है।

आदि शक्ति नंदा—

एटकिंसन ने अपने गजेटियर में एक स्थान पर लिखा है कि 'शक्तिस्वरूपा नंदा देवी हिमालय प्रान्त में सर्वप्रिय हैं। उत्तराखण्ड में नंदा के नाम से पर्वत चोटियों, नदियों और नगरों के नाम पड़ने से स्पष्ट होता है कि देवी नन्दा का यहाँ विशद प्रभाव पड़ा है। वैष्णों परम्परा में नन्दा को योगमाया नंदा कहा गया है।

नंदा जागर एवं भगवती नंदा—

नंदा जागर सृष्टि रचना के वृत्तान्त में 'पंख' आर 'पंखडी' के मेल से अंडे की उत्पत्ति हुयी। पंखडी को हिमालय में जाकर आदिशक्ति नंदा (पार्वती) बताया गया। नंदा जागर के आधार पर कहा जा सकता है कि पूजा के दिन जो भैसा (जतिया) मारा जाता है वह महेश राक्षस का प्रतीक है इसके अतिरिक्त सात अन्य बलियाँ भी दी जाती हैं। उत्तराखण्ड का पश्चिमी भाग पार्वती का मायका माना जाता है। पूजा के अवसर पर यहाँ के लोग पार्वती रूपी नन्दा को अपनी बहन बेटी के समान विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुशोभित करते हैं। देव भूमि अल्मोड़ा में अष्ट भैरव और नौदुर्गा का वास है। इन नौ दुर्गा में से एक नन्दादेवी हैं।

कसारदेवी:—

अल्मोड़ा नगर से 8 कि०मी० की दूरी पर कष्यप (कासाय) पर्वत के नाम से कौषिकी का मंदिर है। पुराणों के अनुसार शुम्भ—निषुम्भ दैत्यों का नाश करने के लिए पार्वती यहाँ कौषिकी के रूप में प्रकट हुयी इसी कारण कालान्तर में यह स्थल कसारदेवी के नाम से जाना जाने लगा। इस स्थल से हिमशिखरों के दर्शन भी होते हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण होने का कारण यह विदेशी पर्यटकों व लेखकों के लिए अत्यन्त अनुपम स्थल है।

जलना:—

अल्मोड़ा से 32 कि०मी० की दूरी पर स्थित जलना नामक स्थान समुद्र सतह से 5500 फीड की ऊँचाई पर स्थित अति रमणीय पर्यटक स्थल है। जलना के चारों ओर सेब व अन्य पर्वतीय फलों के बगीचें बिखरे पड़े हैं। यहाँ से हिमालय की चोटियों का अत्यन्त विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जलना से लगभग 2 कि०मी० की दूरी पर प्रख्यात बानड़ी देवी का मंदिर है। आवास हेतु 40 शैय्याओं का पर्यटक आवास गृह उपलब्ध है।

पर्यावरण विकास:—

विश्व में पर्यावरण संबंधी विचार धाराएँ वर्तमान समय में सुनाई देती हैं किन्तु इन समस्याओं के निदान के संदर्भ में किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं है। विश्व में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतुएँ 50 डिग्री सेन्टीग्रेट से अधिक तापमान पहुँच जाता है फसलें चौपट हो जाती हैं, अकाल भूखमरी की स्थिति एवं जल श्रोत सूख जाते हैं। साथ ही जन धन हानि के साथ पशुधन का विनाश होता है उन्हीं प्रदेशों में शीत ऋतु में जीवन यापन बेहद कठिन होता है इसी जलवायु में होते जा रहे परिवर्तन को हम पर्यावरण पर्यटन कहते हैं। जैसा अवगत है कि हमारे वायुमण्डल के अन्तिम छोर पर अखबार के कागज के समान मोटाई वाली ओजोन परत घिरी हुई है जो कि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें जो मानव एवं जीवन को नष्ट करने में सक्षम हैं, को रोकती है। वायुमण्डल में स्थित वे पदार्थ जो आक्सीजन के घनत्व को कम करते हैं वे ही ओजोन परत को कमजोर तथा पर्यावरण को नुकसान

पहुँचाते हैं। ओजोन परत के न होने पर विश्व में हिमालय, राकी, एण्डीज और आल्पस जैसे हिमाच्छादित पर्वत नहीं होते और जाड़ों की धूप उतनी नुकसान देह होती जितनी गर्मी की, लोग त्वचा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त रहते; फसलें, नदी नाले, समुद्र और बर्फ नहीं होती, जीवन जन शून्य अन्य ब्रह्माण्डीय गृहों के समान होता। वर्तमान समय में विश्व में पेड़ों की कटाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और भूमण्डलीय उष्मीयकरण के कारण समस्त विश्व तथा भारत में भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देने लगा है। गर्मी में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में अधिक ठण्ड तथा ऋतु चक्र में परिवर्तन होने के कारण मौसमी फसलों का जीवन चक्र बदल गया है। विश्व में समस्त पदार्थों का प्रयोग बन्द करना होगा जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुँचा रहे हैं तथा जिनसे निकलने वाली क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस, कभी भी नष्ट न होने वाली पालीथीन प्लास्टिक के पदार्थों के विकल्प तलाशने होंगे। इसके लिए हमें निम्न सुझावों पर ध्यान देना होगा

1. प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान रखते हुए वनीकरण के अन्तर्गत चौड़ी पत्ती वाले वे वृक्ष लगाने होंगे जो वातावरण में उत्पन्न दूषित गैसों को ग्रहण कर आक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करें जिससे ओजोन परत का घनत्व बढ़ सके।

2. वे पदार्थ जो नष्ट न किये जा सकते हो उससे उत्पन्न होने वाली सामग्रियों के विकल्प उपलब्ध होने पर उन्हीं का उपयोग करें।

3. रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर पारम्परिक एवं प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग कर भूमि की उपज में वृद्धि कर सके उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

4. पर्यावरण संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के प्रत्येक वर्ग में किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो सके तथा इसे शुद्ध रखने में अपना योगदान दे सके।

क्या करें:-

1. पालिथीन और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का प्रयोग हिमालय के पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। अतः यथा सम्भव इनका प्रयोग न करें।

2. कैम्प/भ्रमण की समाप्ति पर खाली बोतलें खाली टिन के डिब्बे एवं पालीथीन बैग आदि को अपने साथ वापस लाकर नगर पालिका परिषद के कूड़ादान में डाले, जिससे उक्त कूड़े को नष्ट किया जा सके।

3. धार्मिक स्थलों का यथोचित सम्मान करें तथा उनकी स्वच्छता बनाये रखें।

4. रेडियो टेप एवं अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों आदि का प्रयोग अत्यन्त धीमी आवाज में करें जिससे ध्वनि प्रदूषण न हों।

5. कैम्प स्थलों के समीप अस्थाई शौचालयों की यदि आवश्यकता हो तो उपयोग करने के पश्चात रेत अथवा मिट्टी से ढक दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आप पानी के स्रोत से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर हैं।

क्या न करें:-

1. प्राकृतिक सम्पदाओं, पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों को नुकसान न पहुँचायें हिमालय क्षेत्र अनेक पौधों की कटिंग बीज एवं जड़े निकालना पूर्णतया वर्जित है।

2. नदियों, तालाबों, झीलों एवं जलाशयों आदि को स्वच्छ रखें। कूड़ा करकट एवं डिटर्जेंट जैसे प्रदूषण इनमें न डालें।
3. भ्रमण के समय ईंधन के प्रयोग हेतु लकड़ी का प्रयोग न करें एवं किसी भी दशा में वहां लगी वन-सम्पदा को क्षति न पहुंचायें।
3. कैम्प/भ्रमण के दौरान आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामाग्री साथ रखना या ले जाना वर्जित है।
4. वन क्षेत्र में जलती हुई सिगरेट अथवा अग्नि न छोड़े।
5. स्थानीय बच्चों को खाने पीने की चीजें देकर प्रलोभित न करें।
6. स्थानीय ग्रामवासियों के सामान्य जन जीवन में हस्तक्षेप न करें तथा कैमरे का प्रयोग पूर्वानुमति के बगैर न करें।
7. भ्रमण के दौरान मादक द्रव्यों अथवा नशीले पदार्थों का सेवन न करें।

अध्याय-21

सेवायोजन

जनपद अल्मोड़ा में वर्तमान में दो सेवायोजन कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा एवं नगर सेवायोजन कार्यालय, रानीखेत संचालित हैं।

वर्ष 2012-13 में जनपद अल्मोड़ा के सेवायोजन कार्यालयों में कुल 12565 बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम पंजीकृत किया गया। नियोजकों से 13 रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये। जिसके विरुद्ध 208 अभ्यर्थियों का नाम संप्रेषित किया गया। वर्ष में 141 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया जा सका। वर्ष के अन्त में (31 मार्च 2013 तक) 63550 बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध थे।

30 सितम्बर 12 की स्थिति के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में सार्वजनिक क्षेत्र में 374 नियोजक है। जिनके यहां 16733 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है तथा निजी क्षेत्र के अर्न्तगत 58 नियोजक है, जिनके यहां 1928 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय में स्थापित व्यवसाय मार्ग निर्देशन इकाई के अर्न्तगत अभ्यर्थियों को व्यवसाय मार्ग निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस कार्यालय के अर्न्तगत प्रशिक्षण सुविधाओं स्वतः नियोजन आदि की अध्यावधि जानकारी से बेरोजगार अभ्यर्थियों को भिन्न कराया जाता है।

वर्ष 2012-13 (1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 13) में 2821 अभ्यर्थियों को पंजीयन के समय मार्ग निर्देशन दिया गया, जिससे 1759 अभ्यर्थियों ने सामूहिक वार्ताओं में भी भाग लिया। व्यक्तिगत रूप से 55 अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन प्राप्त किया। ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक रोजगार सहायता उपलब्ध नहीं हुई है, उन अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन आदि की जानकारी देकर इन मामलों का पुर्नावलोकन किया गया। 33 अभ्यर्थियों द्वारा पुर्नावलोकन का लाभ उठाया।

शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा में वर्ष 2012-13 में टंकण वर्ग के अर्न्तगत 146, आशुलिपि वर्ग में 38, प्रक्षिशार्थियों को इस शिक्षण केन्द्र में प्रवेश दिया गया। तीन सत्र पूर्ण होने पर 30 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में

सफलता प्राप्त की एवं इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र दिये गये। शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 6 मासीय एवं 1 वर्षीय प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण आशुलिपि भाषा (हिन्दी), सामान्य, ज्ञान सचिवीय पद्धति बुककीपिंग एवं एकाउन्टेंसी तथा अंकगणित एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में इस केन्द्र के अर्न्तगत 27 प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत है।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा में आजीविका परामर्श केन्द्र (कैरियर काउंसिलिंग सैन्टर) प्रगति की ओर अग्रसर है। इस कार्यालय में प्रत्येक माह कैरियर काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसमें वर्ष 2012-13 के अर्न्तगत 4697 बेरोजगार अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशिक्षणों, सेवायोजन तथा स्वतः नियोजन के अवसरों की जानकारी दी गयी।

कैरियर काउंसिलिंग सैन्टर अल्मोड़ा तथा इससे संबंधित 05 नोडल कैरियर काउंसिलिंग सैन्टर की शाखाओं द्वारा कैरियर काउंसिलिंग संबंधित साहित्य के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना सभी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जा रही है।

अध्याय-22

निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी योजनायें जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना:-

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वतः रोजगार में स्थापित कर उन्हें तीन वर्ष के अन्दर गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है, तथा उनकी क्षमता विकास दर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ करना है। योजना का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह गठित कर, उन्हें ऋण, अनुदान, तकनीकी प्रशिक्षण, अवस्थापना तथा विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2012-13 के अर्न्तगत योजना में 309.15 लाख रु० का वार्षिक परिव्यय निर्धारित था। योजना में 1.4.2012 को गत वर्ष की 42.38 लाख रु० की धनराशि अवषेष थी तथा वर्ष 2012-13 में 231.86 लाख रु० केन्द्रांश एवं 38.64 लाख रु० राज्यांश के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि 313.95 लाख रु० की धनराशि के सापेक्ष 238.69 लाख रु० का व्यय कर 192 समूहों को वित्तपोषण के लक्ष्य के सापेक्ष 221 समूहों को वित्तपोषित कराया गया। योजना में एन०जी०ओ०/सुगमकर्ता पर रु० 10.25 लाख, अवस्थापना मद में 71.08 लाख, रिवाल्विंग फण्ड पर 30.65 लाख, अनुदान पर 156.03 लाख रु० प्रशिक्षण मद में 18.84 लाख रु० व्यय किया गया। विभिन्न बैंको द्वारा 475.00 लाख रु० ऋण दिया गया। योजनानर्तगत 1434 स्वरोजगारियों को वित्तपोषित कर स्वरोजगार में स्थापित किया गया। योजनानर्तगत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2727 स्वरोजगारियों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण रूड-सेड संस्था, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हवालबाग के माध्यम से दिया गया। 106 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के सापेक्ष 135 स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना:-

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मुक्त बंधुवा मजदूरों, अनु० जाति/अनु० जनजाति तथा विकलांगों, मृत सैनिकों/अर्द्ध सैनिकों के परिवारों/विधवाओं, भूतपूर्व/सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्ध सैनिकों को बिना आय सीमा के बाधा के एवं गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वाले गैर अनु० जाति/अनु० जनजाति के ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना है। योजना के अर्न्तगत लक्षित समूह अनु० जाति/अनु० जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय के आवास विहीन परिवार होंगे। परन्तु गैर अनु० जाति/अनु० जनजाति के लाभार्थियों की संख्या की कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना में प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 48.500 रु० मात्राकृत है। आवास में शौचालय धूमरहित चूल्हा, आवास नाम पट्टिका होना आवश्यक है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में 309.11 लाख रु० वार्षिक परिव्यय निर्धारित तथा 1-4-2013 को 37.40 लाख रु० गत वर्ष का शेष था तथा वर्ष 2011-12 में 241.09 लाख रु० केन्द्रांश तथा 80.363 लाख रु० राज्यांश के रूप में शासन से अवमुक्त हुआ। 5.25 लाख अन्य प्राप्ति रही। इस प्रकार योजना में वर्ष 2012-13 में कुल उपलब्ध धनराशि 363.878 लाख रु० के सापेक्ष 318.125 लाख रु० व्यय कर 662 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 732 आवास पूर्ण कराये गये।

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना :-

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु० 32000.00 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अर्न्तगत आवास निर्माण हेतु रु० 10000.00 अनुदान तथा 40000.00 रु० बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2012-13 में शासन से 13.50 लाख रु० की धनराशि अवमुक्त हुई है। इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि 13.50 लाख रु०, के सापेक्ष 13.50 लाख रु० व्यय कर 135 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 135 आवास पूर्ण कराये गये।

उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना:-

योजना के अर्न्तगत ऐसे इच्छुक युवक/युवतियों, पुरुषों एवं स्त्रियों हेतु स्वरोजगार लक्षित करती है जो स्थानीय रूप में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। इसके अर्न्तगत ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायित किसी भी ऋण सह अनुदान स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रों में नियमित रूप से सेवायोजित न हो, पात्रता की श्रेणी में आता है। योजना में 23 प्रतिशत अनु० जाति/अनु० जनजाति एवं 33 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांगों का आच्छादन किया जाना है। योजना के अर्न्तगत चयनित क्रियाकलापों/गतिविधियों के लिए प्रथम वर्ष 7000.00 द्वितीय वर्ष 5000.00 प्रोत्साहन अनुदान एवं तृतीय वर्ष में रु० 3000.00 प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्नातक या उससे अधिक शिक्षित स्वरोजगारी को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत है।

अनुदान की राशि किसी भी दशा में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012-13 में 0.072 लाख रूपया 1-4-2011 का अवशेष था। तथा शासन से 8.73 लाख रू प्राप्त हुआ है एवं रू0 0.311 अन्य प्राप्तियां रही। इस प्रकार योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि 9.113 लाख रू0 के सापेक्ष 9.050 लाख रूपया व्यय कर लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार योजना में विगत वर्षों में वित्तपोषित स्वरोजगारियों को ही अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किस्त देकर लाभान्वित किया जा रहा है।

जलागम कार्यक्रम डी0पी0ए0पी0 / आई0डब्लू0डी0पी0:-

योजना का उद्देश्य ग्राम समुदाय के लिये आय के सतत श्रोत सृजित करना, वर्षा जल संचय तथा वर्षा जल का संरक्षण, रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन, आर्थिक संसाधनों का विकास, कृषि तथा पशुधन का विकास, पारिस्थितिकीय सन्तुलन को कायम रखना सृजित परिसम्पत्तियों प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु ग्राम समुदाय को प्रोत्साहित करना, स्थानीय तौर पर तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध सामाग्री का उपयोग करना है।

जनपद में जलागम कार्यक्रम के अर्न्तगत 11 विकास खण्डों में से 7 विकास खण्ड लमगड़ा, ताकुला, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, सल्ट, स्याल्दे तथा भिकियासैण डी0पी0ए0पी0 एवं 4 विकासखण्ड धौलादेवी, भैसियाछाना, हवालबाग, चौखुटिया आई0डब्लू0डी0पी0 के अर्न्तगत चयनित है। डी0पी0ए0पी0 6 वें बैच से 12 वें बैच तक 149 परियोजनायें तथा आई0डब्लू0डी0पी0 अर्न्तगत 9 माइक्रो वाटर सैड परियोजनाये कार्यान्वित करायी जा रही है।

डी0पी0ए0पी0:- इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012-13 में 275.63 लाख रू0 1-4-2012 को गतवर्ष का अवशेष था तथा वर्ष 2012-13 में राज्यांश के रूप में 85.87 लाख रू0 तथा केन्द्रांश के रूप में 23.21 शासन से प्राप्त हुई है इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि रू0 384.71 लाख के सापेक्ष 384.71 लाख रू0 व्यय कर 10888 है0 क्षेत्र के उपचार के लक्ष्य के सापेक्ष 8304 है0 क्षेत्रफल का उपचार किया गया। डी0पी0ए0पी0 छटवें,सतावें,आठवें तथा दसवें बैच के अन्तिम मुल्यांकन की कारवाई की जा रही है।

आई0डब्लू0डी0पी0:- योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012-13 में 90.77 लाख रू0 1-4-2012 को गतवर्ष का अवषेष था इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि रू0 90.77 लाख रू0 व्यय कर 55.10 है0 क्षेत्र के उपचार के लक्ष्य के सापेक्ष 1460 है0 क्षेत्रफल का उपचार किया गया। कार्यक्रम के अर्न्तगत आई0डब्लू0डी0पी0 प्रथम परियोजना पूर्ण हो चुकी है।

सांसद क्षेत्र विकास योजना:- इस योजना के अर्न्तगत माननीय संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य करवाए जाने का सुझाव दे सकते हैं। राज्य सभा के निर्वाचित माननीय सदस्य जिस राज्य से वे चुन कर आये हैं, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन इस योजना के अर्न्तगत अपनी पसंद के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संस्तुति कर सकते हैं।

नोडल जनपद के रूप में योजना में वर्ष 2012-13 में 500.00 लाख रू0 प्राप्त हुआ। जनपद अल्मोडा को कुल उपलब्ध धनराशि 185.00 लाख रू0 के सापेक्ष 168.40 लाख रू0 के 131 कार्य स्वीकृति किया गया।

विधायक क्षेत्र विकास निधि:-

इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा के प्रत्येक मा0 सदस्य 200.00 लाख रू0 की धनराशि तक निर्माण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है।

वर्ष 2008-09 में कुल उपलब्ध धनराशि 1050.00 लाख रू0 सापेक्ष पूर्ण व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2009-10 में कुल उपलब्ध धनराशि 1400.00 लाख रू0 के सापेक्ष 1330.43 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका है और 69.57 लाख रू0 की धनराशि अवशेष है। वर्ष 2010-11 में कुल उपलब्ध धनराशि 1400.00 लाख रू0 के सापेक्ष 1282.42 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका है और 117.58 लाख रू0 की धनराशि अवशेष है। वर्ष 2011-12 में 1750.00 लाख रू0 अवमुक्त हुआ है जिसके सापेक्ष 1511.601 लाख रू0 व्यय किया जा चुका है और 238.84 लाख रू0 की धनराशि अवशेष है। वर्ष 2012-13 में अवमुक्त धनराशि 1500.00 लाख रू0 के सापेक्ष 862.90 लाख रू0 637.10 अवशेष है।

ग्राम्य- विकास

1 एकल पेयजल योजना:-

त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को मुहैया कराये जाने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा एकल पेयजल प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम्य की पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाएँ जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हों। योजना के अन्तर्गत योजना में कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत का अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत के स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

जनपद अल्मोडा में वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति निम्नवत् रही है:-

1. वर्ष 2003-04 से वर्ष 2012-13 तक कुल स्वीकृत योजनाएँ:- 102
2. वर्ष 2003-04 से वर्ष 2012-13 तक पूर्ण की गई योजनाएँ:- 79

3. योजनाएं जो प्रगति पर हैं की संख्या	23
4. वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध धनराशि	16.336 ला0रू0
5. वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय की गई धनराशि	13.786 ला0रू0
6. अवशेष धनराशि:-	2.55 ला0रू0

2- दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना:-

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई है, जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी होते हैं, योजना में बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में छूट गये हों, को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करने के बाद चयनित परिवारों की सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है । आवासविहीनता के साथ-साथ अधिकतम रू0 21000 / वार्षिक आय सीमा के ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को पात्रता श्रेणी में इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जाता है कि आय प्रमाण-पत्र उप जिलाधिकारी से न्यून स्तर का न हो ।

जनपद अल्मोड़ा में योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 31 मार्च , 2013 की स्थिति निम्नवत् रही है :-

1. वर्ष 2012-13 में आवंटित आवास	13
2. कुल पूर्ण किए गए आवासों की संख्या	13
3. वर्ष 2012-13 के आवंटित आवास जिनकी द्वितीय किश्त लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की गई :-	13
4. दिनांक 01.04.2012 को अवशेष धनराशि	0.424 लाख रू0
5. अन्य प्राप्तियां	0.153
6. कुल उपलब्ध धनराशि	7.327 ला0 रू0
7 वर्षान्तर्गत व्यय की गयी धनराशि	6.305 ला0रू0
8 अवशेष धनराशि	1.022 ला0 रू0

3-राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम:-

बायोगैस कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, देश में ऊर्जा के बचत के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र में यह चलाया गया है, इसमें ऐसे कृषक का चयन किया जाता है जो संयंत्र स्थापित किये जाने का इच्छुक हो, जिसके अपने स्वयं के पास पाँच या उससे अधिक जानवर हों, उसके निवास के आस-पास पानी की प्रचुर मात्रा हो। कृषक का चयन विकास खण्ड स्तर से किया जाता है , और विकास खण्ड से ही अधिकतम जानकारी मुहैया करायी जाती है । चयन के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त कर संयंत्र का तकनीकी आगणन विकास खण्ड के तकनीकी स्टाफ द्वारा तैयार किया जाता है , इसकी सूचना जिला स्तर को की जाती

है। जनपद के अन्तर्गत पूर्व वर्षों में संयंत्रों के निर्माण हेतु कुछ राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है जिनके द्वारा मांग के आधार पर संयंत्र निर्मित किए जाते हैं, इसके अलावा कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे पॉल हिमालयन, कालिका, रानीखेत द्वारा भी संयंत्र निर्माण हेतु टर्नकी एजेन्सी का कार्य किया जा रहा है। जनपद में भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रायः 02 घन मीटर आकार के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें अक्टूबर 2009 तक मुवलिंग 4500.00 की सब्सिडी तथा मु0 800.00 टर्नकी एजेन्सी फीस दी जाती थी। वर्तमान में नवम्बर, 2009 के पश्चात मुवलिंग 10000.00 की सब्सिडी तथा मु0 1500.00 टर्नकी एजेन्सी फीस निर्धारित किशतों में दिए जाने के लिए निदेश प्राप्त हुए हैं।

जनपद अल्मोड़ा में योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति निम्नवत् रही है :-

1. वर्ष 2012-13 का संयंत्र निर्माण का लक्ष्य	25
2. वर्ष 2012-13 की पूर्ति/संयंत्र निर्माण	25
3. प्रगति प्रतिशत	100
3. वर्ष 2012-13 में प्राप्त धनराशि	2.925 ला0रू0
4. वर्ष 2012-13 में व्यय की गई धनराशि	1.25 ला0रू0

4-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:-

जनपद अल्मोड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 01 अप्रैल 2008 से तृतीय फेज जनपद के रूप में क्रियान्वित हुई है। वर्तमान तक वर्षवार वित्तीय/भौतिक प्रगति निम्नवत् है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप योजनान्तर्गत की गई मुख्य-मुख्य बिन्दुओं की प्रगति विवरण निम्नवत् है:-

1-पंजीकरण- जनपद अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 127000 है। ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार के इच्छुक परिवारों में से माह मार्च, 2013 तक कुल 102010 परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है।

2-जॉब कार्ड- पंजीकृत परिवारों में से माह मार्च, 2013 तक 102010 परिवारों को जाब कार्ड वितरण किये जा चुके हैं। जिसमें 30201 अ0जा0, 18 अनु0 जनजाति एवं 71791 सामान्य श्रेणी के परिवार हैं।

3.बैंक एवं पोस्ट आफिस खाता- योजना अन्तर्गत श्रमिकों को बैंक/पो0आ0 खातों के माध्यम से धनराशि भुगतान की जा रही है। जनपद में गत वित्तीय वर्ष से चालू वित्तीय वर्ष के माह मार्च 2013 तक 102010 जॉब कार्ड धारकों के कुल 82140 बैंक खाते एवं 19870 पो0आ0 खाते खोले गये हैं इस प्रकार कुल 102010 खाते खोले गये हैं।

4. सामाजिक अंकेक्षण Social Audit - वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1146 ग्राम पंचायतों का Social Audit सम्पादित हेतु कार्यवाही की गयी है। सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर 1146 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अभी तक 1146 ग्राम पंचायतों का प्रथम अंकेक्षण कर लिया गया है। वर्ष के द्वितीय चरण में

1146 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 1146 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कर लिया गया है।

5. **मस्टर रौल सत्यापन**— जनपद में रा0ग्रा0रो0गा0 योजनान्तर्गत मस्टर रौल सत्यापन कार्य सुचारु से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह मार्च 2013 तक 14332 मस्टररौल उपयोग में लाये गये जिसके सापेक्ष 12020 मस्टररौलों का सत्यापन किया गया।

6. **निरीक्षण/सत्यापन**— योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणधीन कार्यों के निरीक्षण सत्यापन की कार्यवाही सुचारु सम्पन्न की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह मार्च 2013 तक 2721 कार्यों के सापेक्ष 277 कार्यों का जिला स्तर से एवं 1575 कार्यों का विकास खण्ड स्तर से सत्यापन किया गया।

7. **बीमा योजना** — योजनान्तर्गत समस्त परिवारों को जनश्री बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादन हेतु कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

8. **पंचवर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान**— पर्सपेक्टिव प्लान हेतु चयनित संस्था उत्तरांचल डेवलपमेन्ट हिमालयन एक्शन (सुधा) अल्मोड़ा द्वारा हेतु पंचवर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान तैयार की जा चुकी है तथा शासन को प्लान की प्रतिया प्रेषित कर दी गई है।

9. **टॉलफ्री दूरभाष एवं शिकायत निस्तारण**— जनपद में टॉलफ्री फोन स्थापित समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर दिया गया है जनपद का टॉलफ्री दूरभाष न0 18001804121 है। एंव फोन न0 फैक्स न0 05962-234896 है योजनान्तर्गत विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर शिकायतों के निस्तारण हेतु शिकायत पेटिकाए स्थापित कर दी गई है। योजनान्तर्गत माह मार्च 2013 तक दस शिकायत दर्ज हुई है तथा एक शिकायत का निस्तारण किया जा चुका है।

10. **स्टेटस ऑफ एम0आई0एस0**— विकास खण्डों में एम0आई0एस0 के तहत योजनान्तर्गत पंजीकरण, जॉबकार्ड वितरण, फंड मैनेजमेंट वर्क मैनेजमेंट मस्टररौल इन्ट्री, लॉन कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैंड स्थापना आदि के डाटा एन0आर0ई0जी0एस0 वेब साईड पर आन लाईन की गई है।

11. **मनरेगा के साथ रेखीय विभागों की योजनाओं के Convergence/Dovetailing**— शासन के निर्देश के क्रम में नरेगा के साथ रेखीय विभागों की योजनाओं **Convergence/ Dovetailing** के तहत रेखीय विभागों को कुल 398 योजनाएं **Convergence** के तहत स्वीकृत कर रू0 1314.759 लाख की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010-12 तक रू0 563.195 लाख एवं वर्ष 2012-13 में 81.005 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, इस प्रकार कुल रू0 490.189 लाख अवमुक्त की जा चुकी हैं जिसके सापेक्ष कुल रू0 485.128 लाख व्यय की जा चुकी है।

12. **एन0 आर0 ई0जी0ए0 के अन्तर्गत कर्मियों की व्यवस्था**— जनपद द्वारा चयनित सेवादाता एजेन्सी से अतिरिक्त कार्मिकों की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में विकास खण्डों में कुल 45 अवर अभियंता, 11 कम्प्यूटर सहायक, 40 ग्राम रोजगार सेवक तथा 07 उप कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत है, जनपद स्तर पर 01 जिला अभियन्ता कार्यरत है।

13.कार्ययोजना एवं श्रम बजट – शासन के निर्देश के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु संशोधित रू0 3041.406 लाख की धनराशि का श्रम बजट के सापेक्ष अब तक केन्द्रांश के रूप में 1299.36 (लाख रू0) तथा राज्यांश के रूप में 135.680 (लाख रू0) तथा गतवर्ष के अवशेष 69.561 (लाख रू0), अन्य प्राप्ति 21.849 (लाख रू0) सहित कुल उपलब्ध धनराशि 1526.450(लाख रू0) है। जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2013 तक 1502.645(लाख रू0) का व्यय कर लिया गया है।

समाज कल्याण

1-अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति :- इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से दशमोत्तर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत 571.03 लाख की धनराशि व्यय कर 42316 छात्र / छात्राओं तथा अनुसूचित जनजाति में 13.28 लाख की धनराशि व्यय कर 293 छात्र / छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2- पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति :- इस योजनान्तर्गत कक्षा 3 से दशमोत्तर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत 56.87 लाख की धनराशि व्यय कर 5563 छात्र /छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3-अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति :- इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से दशमोत्तर तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत 1.48 लाख की धनराशि व्यय कर 174 छात्र /छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

4-वृद्धावस्था पेंशन :- योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को रू0 400 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। इसका पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2012-13 में रू0 1013.58 लाख की धनराशि व्यय कर 9435 वृद्धजनों को लाभान्वित किया।

5-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन :- योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को रू0 400 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। आयु 80 वर्ष या इससे अधिक होने पर प्रतिमाह रू0 700 की दर से भुगतान किया जाता है। वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत 831.67 लाख की धनराशि व्यय कर 24023 वृद्धों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत रू0 200/की धनराशि राज्य सरकार तथा रू0 200/ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन से व्यय की जाती है तथा 80 वर्ष या इससे अधिक होने पर राज्य सरकार द्वारा रू0 200 तथा केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500 व्यय वहन किया जाता है।

6-विकलांग भरण पोषण अनुदान :- योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के निःशक्तजनों को रू0 600 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग जनों को प्रतिमाह रू0 1000 का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में रू0 334.11 लाख की धनराशि व्यय कर 4532 निःशक्त जनों को लाभान्वित किया गया।

7-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :- बी0पी0एल0 परिवारों के मुख्या के मृत्यु होने पर उनके परिजनों को रू0 10,000 प्रति परिवार की दर से सहायता दी जाती है। परिवार में बालिक पुत्र होने की दशा में योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में रू0 24.70 लाख की धनराशि व्यय कर 247 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

8-विधवा भरण पोषण अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18 से 59 वर्ष तक की विधवाओं को 400.00 प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में रू0 566.63 लाख की धनराशि व्यय कर 11113 विधवाओं को भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किया गया।

9-शादी वीमारी अनुदान- इस योजना में अनुसूचित जाति कें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति की पुत्री के विवाह होने पर 20 हजार रू0 अनुदान एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने पर 200 रू0 अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-2013 में 42.14 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

12-अटल आवास योजना- इस योजना में अनुसूचित जाति कें बी0पी0एल आवास हीन की श्रेणी में आने वाले परिवारों को 38500.00 अनुदान आवास एवं शौचालय निर्माण के लिए दिया जाता है। वर्ष 2012-2013 में 15.04 लाख रू0 व्यय कर 64 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

13-विकलांग व्यक्तियों के शादी पर अनुदान- विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दम्पति कें आय करदाता न होने पर रू0 11000 तथा महिला विकलांग होने पर 14000 रू0 अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.27 लाख रू0 व्यय कर 13 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

14-गौरादेवी कन्याधन योजना- इस योजना में बी0पी0एल0 परिवार की कन्या को इन्टरमीडिएट पास करने 25000.00 रू0 की एन0ए0सी शिक्षा प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। वर्ष 2012-13 में 727.50 लाख रू0 व्यय कर 2910 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

15- विधवा की पुत्री का विवाह- इस योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे विधवा की पुत्री के विवाह करने 10 हजार अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक लाख रू0 व्यय कर 10 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

17 विधवा पुनर्विवाह- इस योजना में विधवा से 35 वर्ष से कम आयु उम्रकी विधवा से विवाह करने पर पुरुष की पहले से जीवित पत्नी न होने पर दम्पति आय कर दाता न होने पर 11000.00 अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में 22 हजार व्यय कर 2 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

18-स्वतःरोजगार- इस योजना में बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बी0पी0एल0 परिवारों को स्वतःरोजगार (जीविका उपर्जन) हेतु ऋण उपलब्ध करा कर 10 हजार रू0 ऋण अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा 354 लाभार्थियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर 35.32 लाख रू0 अनुदान दिया गया है, तथा एक लाभार्थी को 4 प्रतिशत व्याज पर 12500.00 मार्जिन मनी ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

जनपद में कानून व्यवस्था

जनपद अल्मोड़ा में कुल 8 थाने हैं जिसमें 2 नगरीय में से 1 नगरीय महिला एवं 5 ग्रामीण थाना जनपद में है।

दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2013 तक जनपद के रेगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। पुलिस की सक्रिय एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप कानून व्यवस्था एवं अपराध की कोई गम्भीर घटना घटित नहीं हुई है।

अपराध –

दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2013 तक भा0द0वि0 के 147 अभियोग पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 02 अभियोग खारिज किये गये हैं। उक्त अवधि के दौरान 116 अभियोगों में आरोप पत्र व 29 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

मुख्य-मुख्य अपराधों का विवरण

उक्त अवधि में हत्या के शीर्षकान्तर्गत 04 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। जो निम्नवत हैं।

1- जनपद में वर्ष 2012-13 में हत्या के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें दौराने विवेचना विवेचक द्वारा 04 अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।

2- जनपद में उक्त अवधि में बलात्कार का 04 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें विवेचक द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

हत्या का प्रयास:-

उक्त अवधि में इसके अन्तर्गत 06 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 05 अभियोगों का अनावरण करते हुए आरोप पत्र, तथा 01 अभियोग सी0बी0सी0आई0डी0 को विवेचना हेतु हस्तान्तरित किया गया।

नकबजनी:-

उक्त अवधि में इसके अन्तर्गत 12 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 06 अभियोगों का अनावरण करते हुए 06 मामलों में आरोप पत्र, तथा 05 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी तथा 01 अभियोग खारिज किया गया है।

डकैती:-

उक्त अवधि में डकैती शीर्षक के अन्तर्गत कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

लूट:-

उक्त अवधि में लूट का 04 अभियोग शीर्षक के अन्तर्गत थाना कोतवाली अल्मोड़ा में पंजीकृत किये गये जिनमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये तथा लूटी गयी धनराशि रू0 68110.00 की सम्पत्ति बरामद की गयी।

वाहन चोरी:-

उक्त अवधि में वाहन चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 02 अभियोगों का अनावरण करते हुए चोरी गये वाहनों को बरामद किया गया तथा आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की गई है।

बल्वा:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 03 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 01 अभियोग में आरोप पत्र तथा 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी।

मुख्य निरोधात्मक कार्यवाही निम्न प्रकार है:—

शस्त्र अधिनियम:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 06 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।

जुआ अधिनियम:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 04 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें विवेचक द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।

आबकारी अधिनियम:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 80 मामले पंजीकृत हुए जिनमें से 79 मामलो में आरोप पत्र तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की गई।

गौबध अधिनियम:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 09 मामले प्रकाश में आये जिनमें अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।

एन0डी0पी0एस0एक्ट:—

उक्त अवधि में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अर्न्तगत 25 प्रकरणों में बरामदी कर अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 25 अभियोग में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये।

पशु कूरता निवारण अधि0:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 02 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये है।

पुलिस अधिनियम:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 592 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा शमन के रूप में दण्डित किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम:—

उक्त अवधि में इसके अर्न्तगत 12084 मामलों में चालान किया गया तथा शमन के रूप में दण्डित किया गया। कुल प्रकरण मा0 न्यायालय में विचारधीन चल रहे हैं तथा मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत 138 वाहनो को सीज किया गया है।

अध्याय—24

आर्थिक समस्याएँ एवं सुझाव

1. चिकित्सा विभाग :-

जनपद में मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु राज्य अवस्थापना विकास निगम लि० को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था। जिसमें चाहरदीवारी निर्माण हेतु 17-3-2010 को रू० 96.61 लाख तथा दिनांक 15.7.2010 को रू० 25 लाख कुल रू० 121.61 लाख कार्यदायी संस्था को हस्तगत किये गये थे। साथ ही पोथ फ्री स्टेट में 25 एकड़ भूमि कार्यदायी संस्था को उनलब्ध करा दी थी। परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। शासनादेश संख्या 398/XXViii/2011 दिनांक 29.3.2011 द्वारा उक्त कार्य उ०प्र०रा०निर्माण निगम को सौंप दिया गया। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कालेज की परिसर की 1789.30 रनिंग मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाना है। जिसमें से 1128.30 रनिंग मीटर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं 62.50 रनिंग मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. सिंचाई विभाग :-

- कोसी बैराज की अघतन स्थिति :- कोसी बैराज की सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान हेतु रू० 33.40 लाख रूपया प्राप्त हुआ था। इस धनराशि में से 25.00 लाख रूपयायू०आई०पी०सी०प्रा०लि० देहरादून को सर्वेक्षण एवं डी०पी०आर० तैयार करने के लिए भुगतान किया गया रूपया 8.00 लाख से सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त मानचित्र तैयार किये गये हैं। बैराज के विस्तृत सर्वेक्षण एवं डी०पी०आर० तैयार करने हेतु रूपया 84.28 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन धनावंटन हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। जो अभी तक प्रतीक्षित है।

- नगर अल्मोड़ा के ड्रेनैज सिस्टम :- नगर में ड्रेनैज सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त किये जाने हेतु प्रशासन द्वारा आई०आई०टी० रूडकी से डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु आई०आई०टी० रूडकी द्वारा डी०पी०आर० तैयार करने से पूर्व नगर के सर्वेक्षण हेतु रू० 33090/-की माग की गई है इस धनराशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव सिंचाई उत्तराखण्ड शासन देहरादून को जिला अधिकारी महोदय के ओर से 8.6.2011 को पत्र लिखा गया था परन्तु अभी तक स्थल निरीक्षण सम्बन्धि धनराशि अपेक्षित है। धनराशि प्राप्त होने पर स्थलीय निरीक्षण करवाकर डी०पी०आर० तैयार कराया जायेगा।

3. जल निगम :-

- खूंट पम्पिंग पेयजल योजना :- इस योजना हेतु विभाग को 444.60 लाख रूपये की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष शासन से 394.94 लाख रूपया प्राप्त हुआ था। इस धनराशि से योजना के 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। शेष धनराशि 49.66 लाख शासन से अपेक्षित है।

- विक्टर मोहन जोशी जलाशय :- इस जलाशय के निर्माण हेतु 225.83 लाख की आवश्यकता थी। जिसके सापेक्ष 132.75 लाख रूपया विभाग को शेष धनराशि के आवंटन हेतु विभाग द्वारा प्राक्कलन शासन को प्रेषित किया गया है।

4. खेल विभाग :- अल्मोड़ा स्टेडियम में खेल मैदान की ऊपर बनी हुई टूटी सीढ़ियों की मरम्मत व खेल प्रतियोगिता के उदघाटन/समापन हेतु सीढ़ियों की मरम्मत एवं पवेलियन/मंच का निर्माण किया जाना है। खेल मैदान के चारों ओर जाली सहित नाली का निर्माण कर पानी के निकासी की व्यवस्था की जानी है। नवनिर्मित बैडमिन्टन हाल के पास से पिलर लगाकर चैनजिंग रूम का निर्माण किया जाना है। साथ ही बैडमिन्टन हाल का रख-रखाव एवं विद्युत व्यवस्था सही होनी है तथा स्टेडियम में एक टी0टी0 हॉल एवं टोयलेट बाथरूम का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

5. विद्युत विभाग :- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूरा करने में निम्नलिखित समस्याएँ हैं –

1. मैसर्स आईकाम टेली0लि0 के उच्च अधिकारी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अपनी रुचि नहीं ले रहे हैं।

2. कम्पनी के लोकल स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों,पैटी कान्ट्रैक्टर्स को समय से न ही सामग्री उपलब्ध हो पा रही है और न ही मैनपावर मिल पा रही है। न ही कार्य कराने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो पा रही है, जिस कारण लोकल स्तर पर अपेक्षित प्रगति कम्पनी से नहीं ली जा पा रही है।

3. लगातार विभाग द्वारा अनुबन्ध की शर्तानुसार कम्पनी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु उ0पा0का0लि0 मुख्यालय को लिखा जा रहा है।

4. जनपद में कई ग्राम ऐसे हैं जहाँ पूर्व में कम्पनी द्वारा लाईन भी बनायी गयी थी, लेकिन पिछली दो दैवीय आपदाओं से लाईनें एवं कार्य प्रभावित हुआ है परन्तु इन्हें भी कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है।

6. संस्कृति विभाग :- पं0उदयशंकर नृत्स एवं संगीत अकादमी जो नृत्य सम्राट पंडित

उदय शंकर जी की स्मृति में फलसीमा अल्मोड़ा में बनाय जा रहा है उस पर आज तक केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त 500.00 लाख तथा राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त 300.00 लाख इस प्रकार कुल 800.00 लाख प्राप्त हुए हैं। इस भवन का निर्माण केन्द्रीस लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा किया जा रहा है। उक्त 800.00 लाख जो निर्माण इकाई को दिये गये हैं में से 696.9 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। शेष 102.49 लाख निर्माण इकाई के पास उपलब्ध है।

भवन में आडोटोरियम के क्रियान्वयन हेतु विद्युत एवं सिविल कार्यों के लिए 160.00 लाख की आवश्यकता होगी। जिस सम्बन्ध में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा गया है। उदयशंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कला दीर्घा/वीथिका प्रारम्भ किये जाने हेतु 7 लाख का प्रस्ताव तथा स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन वृत्त पर आधारित छायाचित्रों की प्रदर्शनी हेतु 1.20 लाख का प्रस्ताव निदेशालय के पत्र के क्रम में निदेशालय भेजा गया है।

7. शिक्षा विभाग :- राजीव गाँधी नवोदय विधालय चौनलिया अल्मोड़ा के वर्तमान में 259 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत है तथा 04 पूर्णकालिक व 12 अनुबंध पर अध्यापक कार्यरत है। विधालय भवन निर्माण के लिए पूर्व में रू0 700.35 लाख स्वीकृत हुए हैं। जिससे कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम अल्मोड़ा को अवमुक्त किया गया है। कार्यदायी संस्थ द्वारा भवन पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया

गया है। भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित दरों पर धनराशि की मांग की गई है। परन्तु उनके द्वारा पुनरीक्षित आंगणन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधालय में स्थायी रूप से पेयजल संयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्रांक 18196-99/नियोजन-1/2011-12 दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा लिखा गया है तथा सोलर गीजर सिस्टम को परिसर में स्थापित किये जाने हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेडा को लिखा गया है। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

तो शायद जनपद की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके।

1:-कृषि हेतु उन्नतशील बीजों तथा कृषि यंत्रों का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये। सिंचाई की सुविधा हेतु ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नदियों के पानी से नहरों तथा ऊँचे क्षेत्रों में हौज, हाइड्रैम तथा गूल का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार पूर्ति की जा सकती है।

2:-फल उत्पादन, बी आर्थिक दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा पिछड़े क्षेत्र में आता है, क्योंकि इस क्षेत्र का सम्पूर्ण भू-भाग पर्वतीय है कुछ क्षेत्र जो कि विकासखण्ड चौखुटिया तथा ताकुला के अन्तर्गत आता है, घाटी क्षेत्र में है। इस कारण यहाँ विकास की गति अत्यन्त धीमी है। इस जनपद की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ निम्नवत् है।

1. इस क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जोकि मुख्यतः कृषि पर आश्रित है, भूमि अधिकतर वनों से आच्छादित होने के कारण भी अवशेष भूमि कृषि अयोग्य है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र काफी कम है 90 से 95 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है, ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया जाना सम्भव नहीं है।

2:-कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर होने के कारण पानी की समस्या में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा तथा उन्नतशील बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सम्भव नहीं हो पाता है।

3:-अधिकांशतया परम्परागत बीजों जैसे मडुवा, सॉवा, अनाजों की खेती पर ही निर्भर रहना पडता है, इस क्षेत्र में आलू एवं फलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, परन्तु शीतगृह एवं फल संरक्षण विधायन इकाईयों के अभाव में अधिकांश फल सब्जी सस्ते दामों में मैदानी क्षेत्रों में निर्यात हो जाती है तथा इस क्षेत्र में पुनः फल एवं सब्जियाँ बिक्री के लिए आयात की जाती है, जिस कारण ये काफी महँगी होती है।

4:-यातायात सुविधा सुलभ नहीं है, वैसे विभिन्न निजी एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा यातायात एवं परिवहन की सुविधाएँ लागू की गई है परन्तु किराये की आपसी दरें अधिक होने तथा आर्थिक विकास न होने के कारण ग्रामों को कोई लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता है।

5:-पशुपालन के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। दुधारु पशुओं का औसत दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, इस क्षेत्र में अधिकांश पशु देशी नस्ल के है, इसके अतिरिक्त पर्याप्त चारे के अभाव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। जिन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन होता भी है, वहाँ खोया अथवा मॉवा बनाकर दुग्ध पदार्थों, मिष्ठानों से अधिक आय अर्जित कर लेते है।

6:-यह क्षेत्र उद्योग एवं व्यवसायिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उद्योग एवं यातायात की अत्यधिक कमी के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते है

जिसके कारण लोगो में उद्योगों के प्रति रुचि का अभाव तथा इस क्षेत्र से शिक्षित/कृषल लोगो का पलायन कर रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्र को चला जाना भी इस क्षेत्र को अधिक पिछडेपन की ओर अग्रसर करने में सहायक होता जा रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु एवं वातावरण के अनुसार ऐसे कुटीर उद्योगों का विस्तार किया जाना चाहिए जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार परक हो सके। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न सुझावों पर दृज वितरण, सब्जी उत्पादन एवं बीज विद्यायन संयंत्रों की कुछ न कुछ इकाईयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे उत्पादकों द्वारा अपनी फसल का सही उपज मूल्य प्राप्त किया जा सके। शीत भण्डारों एवं गोदामों का निर्माण, फलों की बीमारियों का निदान तथा अच्छे बीज उत्पादकों को नई विकसित प्रजातियों को विकसित करने हेतु योजनाएँ इस क्षेत्र में सहायक हो सकती है।

3:—चूंकि अधिकाश किसानो के पास जोतों की कमी है, अतः अधिक आय अर्जन हेतु औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीज एवं खाद के पैकेटों की पूर्ति तथा इनके लाभदायक परिणामों की जानकारी कृषकों को दी जानी चाहिए, जिससे कृषको को अत्यधिक रूप से कृषि पर निर्भर रहकर खाली न बैठना पडे तथा उनका आर्थिक पक्ष भी सबल हो सके।

4:—विद्युत का प्रयोग जीवन में अधिक होने के कारण कुटीर उद्योग हेतु विद्युत का उत्पादन करने तथा कृषि व औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है, इस क्षेत्र में काफी उपयोगी हो सकता है।

5:—परिवहन एवं यातायात की सेवाओं के अन्तर्गत ऐसी सडकों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्राम सडकों से जुड़ सके। जनसंख्या के आधार पर सडकों का निर्माण प्रत्येक ग्राम को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर सकेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्रो को जोड़ने वाली सड़को की दशा को भी सुधारा जाना चाहिए, ताकि पर्यटन के साथ- साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके।

6:—पशुधन के विकास के लिए देशी नस्लों से उत्तम जातियाँ प्राप्त करने हेतु उन्नतशील कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पशुओं की उन्नत किस्म की नस्लो के साथ-साथ जनपद की पशुशक्ति में वृद्धि हो सके तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की समस्याओं का भी निदान हो सके। साथ ही ग्रामीण जनता को चारे की उन्नत किस्मों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने चाहिए।

7:—वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे जनपद की श्रम एवं वन सम्पदा जैसे लीसा लकडी एवं खनिज पदार्थ का दोहन एवं मैदानी क्षेत्रों में न होकर वहीं उद्योगों को विकसित किया जाय तो निर्मित वस्तुओं को यही से निर्यात कर आय अर्जित की जा सकती है जिससे जनपद में रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

8:—स्थानीय उत्पादों पर आधारित कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण जनता को अन्य कार्यों से बचे समय में अतिरिक्त आय हो सके तथा उनका समय सृजनात्मक कार्यों में अधिक लग सके।

9:—जड़ी बूटियों की पर्याप्त मात्रा इस क्षेत्र में होने के उपरान्त भी इन जड़ी बूटियों का दोहन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। जड़ी बूटियों के उचित दोहन हेतु अनुसन्धान केन्द्रों एवं इकाईयों की स्थापना इस क्षेत्र में विकास एवं रोजगार की दृष्टि से सुलभ साधन है। इस हेतु अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।

10:—भौगोलिक प्राकृतिक दृष्टि से अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की भाँति यह जनपद भी प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। यहाँ रमणीय स्थलों की कमी नहीं है किन्तु पर्यटन हेतु सुविधाओं के अभाव में जनपद के कई पर्यटन स्थल ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीक स्थल विकास से अछूते रह गये हैं, इन पर्यटन स्थलों में पर्यटन सुविधाएँ नहीं के बराबर हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह पर्यटन सुविधाओं का विकास कर जनपद की विकासधारा को रोजगार एवं आय अर्जन से जोड़कर आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है, इससे जनपद का सम्पूर्ण विकास सम्भव है।

अध्याय—25

अन्य विविध

25.1 मनोरंजन:—

जनपद अल्मोड़ा में एक छविगृह जनता के मनोरंजन हेतु उपलब्ध है। अल्मोड़ा में तथा रानीखेत में खेलकूद स्टेडियम भी उपलब्ध है। मृग विहार योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में एन0टी0डी0 के पास वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें विभिन्न देशों एवं जाति के वन्य जन्तु रखे गये हैं, जिनमें तेदुए, चीतल, साँभर, काकड़, भालू, तथा सफेद एवं सामान्य बंदर आदि वन्य जन्तु हैं।

25.2 अग्निशमन केन्द्र:—

जनपद अल्मोड़ा में दो अग्निशमन केन्द्र अल्मोड़ा नगर व रानीखेत छावनी क्षेत्र हैं, जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपयोग में लाये जाते हैं।

25.3 राज्य कर्मचारियों के आँकड़ो:—

31 मार्च, 2006 को कुल 12736 राज्य कर्मचारी शिक्षक सहित कार्यरत थे, जिनमें पूर्णकालिक कर्मचारी (शिक्षको सहित)/अल्प समय /कन्टीजेन्सी तथा वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित है। बाहरी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत पूर्णकालिक कर्मचारी (शिक्षको सहित)/ अल्प समय/कन्टीजेन्सी तथा वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः जिला पंचायत में 40, नगरपालिका परिषद में 310, नोटिफाइड एरिया में 12, जल संस्थान में 799 है। राजपत्रित तथा अराजपत्रित शिक्षकों की कुल संख्या 2379 थी।

25.4 आर्थिक गणना:—

पंचम आर्थिक गणना – 2012-13 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 26796 (अनन्तिम) उद्यम हैं। जनपद अल्मोड़ा में उद्यमों में सामान्यतः कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 48918(अनन्तिम) है। कुल वैतनिक व्यक्तियों की संख्या 21925(अनन्तिम) है।

25.5 विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली:-

वर्ष 2008-09 में जनपद की जिला योजना में 3464.00 लाख रू० परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 3227.85 लाख रू० अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 2835.40 लाख रू० व्यय किया गया। वर्ष 2009-10 में जनपद की जिला योजना में 3738.00 लाख रू० परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 2850.91 लाख रू० अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 2503.18 लाख रू० व्यय किया गया है। वर्ष 2012-13 में जनपद की जिला योजना में 5607.00 लाख रू० परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 3247.16 लाख रू० अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों में 3246.17 लाख रू० व्यय किया गया है।

25.6 महत्वपूर्ण अधिकारियों/कार्यालयों के दूरभाष नं०

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	कोड नम्बर	दूरभाष नम्बर
1	सचिव, नियोजन	0135	2712012
2	निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून	0135	2655571
3	उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी	05946	222465
4	जिलाधिकारी कार्यालय	05962	230170
5	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230072
6	पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा	05962	230007
7	क्षेत्राधिकारी पुलिस, अल्मोड़ा	05962	230232
8	फायर पुलिस स्टेशन, अल्मोड़ा	05962	230101
9	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230424
10	जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230209
11	विद्युत विभाग	05962	230114
12	अधि० अभि० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा	05962	230053
13	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230065
14	जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230074
15	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230321
16	जिला समाज कल्याण अधिकारी	05962	235564

17	मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोड़ा	05962	233015
18	जिला अस्पताल, अल्मोड़ा	05962	230064
19	बेस अस्पताल, अल्मोड़ा	05962	230012
20	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अल्मोड़ा	05962	230180
21	खण्ड विकास अधिकारी हवालबाग	05962	241106
22	खण्ड विकास अधिकारी भैसियाछाना	05962	262120
23	खण्ड विकास अधिकारी धौलादेवी	05962	271009
24	खण्ड विकास अधिकारी लमगड़ा	05962	256022
25	खण्ड विकास अधिकारी चौखुटिया	05966	255033
26	खण्ड विकास अधिकारी भिकियासैण	05966	242009
27	खण्ड विकास अधिकारी द्वाराहाट	05966	244228
28	खण्ड विकास अधिकारी स्याल्दे	05966	247451
29	खण्ड विकास अधिकारी सल्ट	05966	238728
30	खण्ड विकास अधिकारी ताड़ीखेत	05966	264238